

गरीबों के अधिकार

एक पुस्तिका
उत्तराखण्डी संस्थाओं के लिए

न० 1 जून 2015



ProjectBurans
working with communities for mental health in Uttarakhand



अधिकार सम्बन्धी सफलता की सच्ची घटनाएं

करीन को विधावा पेंशन मिलना

करीन उत्तर प्रदेश से दिल्ली नयी शादी हो के आई। उसका पूरा परिवार दिल्ली के पूर्व में अपने पति और 4 बच्चों के साथ अस्थायी झुग्गी जो अवैध तौर से बनायी गयी झुग्गियों समूह में रहते थे। 2007 में करीन की 11 महीन की बच्ची की मृत्यु दस्त के कारण से हुयी। कुछ महीनों के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गयी। इस बार शायद टीबी के वजह से हुई। करीन अपने 3 बच्चों के साथ, बिना आमदनी के साथ, एक छोटी सी झुग्गी में रहने लगी और उनकी हालात बहुत बुरे थे।



दिल्ली सरकार ने विधवाओं के लिए 1000 रु की पेंशन रखी है पर वो करीन को

नहीं मिल रही थी। कुछ साधारण जानकारियों से पता चला की समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन मिलती है। (कृपया पृष्ठ 11 इस पुस्तिका का देखें)। प्रशासन ने कहा की करीन इस पेंशन के योग्य नहीं हैं क्योंकि उसके पास खाता नहीं हैं। करीन के पास कभी बैंक खाता नहीं था, तो हम पास के बैंक गए उसका खाता खुलाने। बैंक मेनेजर ने खाता खोलने से मना कर दिया और कहा की पहचान दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है (कृपया पृष्ठ 41 इस पुस्तिका का देखें)। करीन के पास ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं था तो हमारा अगला पड़ाव चुनाव विभाग था हमने विभाग से करीन के लिए चुनाव वोटर कार्ड पूछा। काफी दिनों के बाद वह उसकी झुग्गी आये। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा माफ़ करिए यह झुग्गी में रहती हैं, हम इन्हें वोटर कार्ड नहीं दे सकते। हमनं विरोध किया और बताया की यह कानून है हर भारतीय नागरिक का एक पहचान पत्र होना अधिकार है चाहे वो झुग्गी में रहे या राजमहल में रहे (कृपया पृष्ठ 37 इस पुस्तिका का देखें)। थोड़ी देर के बाद उन्होंने सर हिलाया और हाथ खुजलाते हुए मान गए।

एक हफ्ते के बाद, हम पहचान पत्र के साथ फिर बैंक गए, शुक्र है उन्होंने बैंक खाता खोल दिया। हम फिर दुबारा समाज कल्याण विभाग गए, इस भरोसे की हमें सफलता मिलेगी, परन्तु हम फिर असफल हुए। बैंक खाता हो या न हो, एक सरकारी दस्तावेज़ होना चाहिए जिससे यह साबित हो की वो दिल्ली में 5 साल से रह रही है। हताश होकर प्रार्थना पत्र समाज कल्याण विभाग मुख्य अधिकारी को लिखा (कृपया पृष्ठ 11 इस पुस्तिका का देखें), जिन्होंने आखिर कार हमारे निवेदन को मान लिया। 6 महीने की सरकारी उथल पुथल के बाद, करीन को आखिर में पेंशन मिलने लगी, और ५ महीने का भुगतान भी मिला, अब उसके पास ५००० रु बैंक खाते में हैं।

महिलाओं को MGNREGA रोज़गार मिलता है

जागीर गांव, बिजनौर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को पता नहीं था की वो **MGNREGA** योजना के लागू रोज़गार के योजना के योग्य है या नहीं (कृपया पृष्ठ 10 इस पुस्तिका का देखें), उनके पतियों के पास रोज़गार कार्ड होता है पर वो रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं। शेयर प्रोजेक्ट के कर्मचारी ने सूचित किया की वास्तव में महिलाएं भी इस योजना की हकदार हैं। यह जानकर महिलाएं ग्राम प्रधान के पास काम मांगने गयी। अतः उन्हें **MGNREGA** योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण में रोज़गार मिला।

गुड़डन के लिए गैस कनेक्शन की मुहीम

गुड़डन करीब 2 साल से पक्का गैस कनेक्शन लेने की कोशिश में लगा हुआ था। गैस कार्यालय के कर्मचारी हर बार कोई न कोई बहाना बोल के उससे कनेक्शन देने से मना कर देते थे। फिर गुड़डन ने अधिकार सहित बैठक में भाग लेने के बाद सिखा की कैसे गैस कनेक्शन लेना उसका अधिकार है (कृपया पृष्ठ 26 इस पुस्तिका का देखें) और यह भी सीख की किस तरह से आगे बढ़ाना है सूचना के अधिकार द्वारा। इस सीख के साथ वो दुबारा गैस कनेक्शन के ऑफिस गयी। उन्होंने फिर उसे मना कर दिया पर इस बार गुड़डन ने उन्हें धमकाया की वो बड़े अफसर जो लखनऊ में है शिकायत करेगी बस इतना बोलना उन सब के लिए काफी था कर्मचारी उसकी हिम्मत को देख कर सक्पक्का गए और वो तुरंत काम पे लग गए। और फिर गुड़डन को कनेक्शन 1 हफ्ते मिल गया।

इस दस्तावेज के बारे में

उत्तराखण्ड में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं जो आश्चर्यजनक है। उनमें से बहुत सारी सुविधाएं गांवों और शहरों की मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए अधिकार के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से सरकारी कर्मचारियों में पाए जाने वाले भ्रष्टाचार या उनके आलसपन के कारण या स्वयं निवासियों में जागरूकता या उनमें विश्वास की कमी के कारण मलिन बस्तियों के ज्यादातर निवासी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

अक्सर जब सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो हम खुद सुविधाएं देते हैं जैसे स्कूल, विलनिक आदि। उन सुविधाओं के लिए लोग हमें पसंद करते हैं लेकिन हम सुविधाएं हमेशा तक नहीं चला सकता है। कभी न कभी हमें लोगों की मदद करनी होगी ताकि उन्हें सरकारी सुविधाएं मिल सके।

इस दस्तावेज की जानकारियाँ एक हिस्सा ही है उस बड़ी योजना का जिस से दिल्ली बस्ती के निवासी जागरूकता और सशक्त बन सकें। सशक्तिकरण के लिए गरीबों को ना सिर्फ उपलब्ध सुविधाएं का **जानकारी** होने चाहिए (पृष्ठ 6-42)। उसके अलावा अच्छी आवेदन और RTI लिखने के **कुशलता** होने चाहिए (अतिरिक्त 3 पृष्ठ 46– 5 पृष्ठ 49) और सब से जरूरी है कि उनके **दिल** का बदलाव हो ताकि वे एक दूसरे की मदद करें। अतिरिक्त 1 पृष्ठ 43 में कुल दस कदम दिए गए हैं जिसे निवासी ज्ञानी कशल और दिल से सशक्त हो सकते हैं।

ये दस्तावेज़ इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है कि उनके कार्य को आसान बनाया जा सके जो उत्तराखण्ड के गरीब लोगों के बीच सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। पृष्ठ 4,5 पर तालिका में दी गई हर एक सेवां की सूची के लिए हमने सामान्य आकार दिया है;

क. सम्बंधित सरकार के विभाग जो ये सेवा प्रदान करते हैं (उसके वेबसाइट होमपेज के साथ)। कुछ विभागों की वेबसाइट [यहाँ](#) देख सकते हैं।

ख. उस विभाग की नीति के अनुसार निवासियों के **अधिकार**; अधिकांश अधिकार केन्द्र सरकार के नागरिक वेबसाइट पर [यहाँ](#) देखे जा सकते हैं हैं उत्तराखण्ड स्थित जनसम्पर्क विभाग में [यहाँ](#) देखें। अतिरिक्त 2 पृष्ठ 45 में सेवाएँ और गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों के लिए सेवाएँ सरांश में दी गई हैं।

ग. आवेदन प्रक्रिया योग्यतनुसार आवेदन करने हेतु; आवेदन की बहुत सारी प्रक्रियाएं [यहाँ](#) और [यहाँ](#) और कुछ आवेदन पत्र पृष्ठ 53 से मिल सकती हैं। अच्छा आवेदन लिखने पर टिप्पणी और एक नमूना अतिरिक्त 3 पृष्ठ 46 में दिया गया है जिसे से आपको सहायता मिलेगी। आवेदन की सफलता की आशा एवं उसमें लगने वाले समय के बारे में भी हमने इसमें बताया है। हम सब जानते हैं कि शुरू में अक्सर हमारी आवेदन को सफलता नहीं मिलती क्योंकि जिस अफसर के पास हम अपना अवेदन पत्र जमा करते हैं वो :

- छुट्टी पर हो या चुनाव कार्य में लगा होता है।
- बोले कि आप गलत कार्यालय में आ गए हैं और दूसरी जगह जाने को बोलें।
- बोले कि उसका कोई अधिकार नहीं है आपके दिए गए आवेदन पर और जो अधिकारी कुछ कर सकते थे वो छुट्टी पर है या बिमार है।
- बोले कि उसके पास इस साल के लिए बजट नहीं है या दफ्तर में कर्मचारी नहीं है इसलिए काम नहीं हो पाएगा।
- कुछ चाय पानी मिल जाता तो (यानी धूस मांगना)। पृष्ठ 48 में विस्तार से सुझाव दिए गए हैं जिस से भ्रष्टाचार से निपटा जा सकता है।

घ. सहायता सुझाव, अगर आवेदन में सफलता न मिले। उन सलाह में शामिल हैं:

- स्वयं सरकार द्वारा **दिल्ली नागरिक चार्टर** में दिए गए सुझाव: या
- **केन्द्र सरकार** के स्वयं के **शिकायत आयोग** के द्वारा शिकायत दायर करना <http://pgportal.gov.in/>
- **उत्तराखण्ड सरकार** के स्वयं के **शिकायत आयोग** के द्वारा शिकायत दायर करना <http://samadhan.uk.gov.in/>
- उस विभाग में **सूचना** के **अधिकार अधिनियम** के अन्तर्गत आवेदन दायर करना जहां आपने आवेदन किया है। प्रभावशाली सूचना का अधिकार के प्रयोग पर टिप्पणी और आरटीआइ का नमूना अतिरिक्त 5 पृष्ठ 49 में दिया गया है जिसे से आपको सहायता मिलेगी: या
- वकील जो शायद मदद कर सकता है **Justice Ventures International**.011-4050170 delhi@justiceventures.org
- मेडिया को संपार्क करना। मेडिया के प्रयोग पर टिप्पणी अतिरिक्त 6 पृष्ठ 51में दिया गया ह

ड. सफलता की कहानी दिखाती है कि क्या उत्तराखण्ड की परिस्थितियों में सचमुच में ये आवेदन/सहायता कार्य करती है।

अगर आप इस पुस्तिका को अपने सहायता के कार्य में उपयोगी समझते हैं और जैसा कि हम आशा भी करते हैं, तो कृपया इसे अन्य सही स्वयं- सेवी संस्थाओं/व्यक्तियों को जो उत्तराखण्ड के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, के साथ भी बांटे। जानबूझ कर इसे कॉपी राइट के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। अगर आप इसकी लिखित प्रति पढ़ रहे हैं, तो आप हिन्दी और अंग्रेज़ी में इसकी कमप्यूटर-कॉपी इ.ए.ए. के वेबसाइट www.eha-health.org से (See 'Advocacy Manuals') पर विलक कर के निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले महीनों के दौरान हम अन्य भारतीय प्रदेशों के लिए उनकी भाषा में अनुवाद करेंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीगढ़, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और मनिपुर तो हो चुका। वे दस्तावेज भी EHA के वेबसाइट पर हैं। हम वर्कशोप लेने को तैयार हैं जिस से गरीब समुदाय सशक्त बन सकें।।

अन्त में हम ये कहना चाहेंगे कि योग्यता और शिकायत प्रक्रिया में अक्सर परिवर्तन होते रहते हैं, अतः अगर आप इस पुस्तिका में कोई गलती/भूल पाते हैं तो और अगर इस में शामिल करने के लिए आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया हमें जानकारी दें और हम इसमें शामिल करेंगे। आपकी सहायता के लिए, शुभ कामनाओं के साथ।

मार्क डिलानी

Emmanuel Hospital Association

mark@eha-health.org

पहला क़दम – अपनी बस्ती के सरकारी दफतरों को जानें

आरम्भ में यह जानना आपके लिए लाभदायक होगा कि उत्तराखण्ड के विभिन्न स्तर के सरकारी के संरचना में आपका गांव कहां आता है। अगर अपने क्षेत्र की सूचनाएं आपको मिल जाती हैं तो नीचे दिए गए टेबल में उसे लिखें। इ.एच.ए के छतरपुर सी.एच.डी की सूचनाएं केवल उदाहरण के लिए के लिए दी गई हैं। उन उदाहरणों को मिटा दें और उसकी जगह अपने गांव की सूचना को लिखें।

- उत्तराखण्ड 5 लोक सभा क्षेत्र में विभाजित हैं। हर क्षेत्र का एक अपना चुना हुआ लोकसभा सदस्य जो लगभग 10 लाख लोग अपने मतदाताओं के लिए जिम्मेदार है। आपके लोकसभा सदस्य सीखने के लिए यहाँ या यहाँ (भारत के मानचित्र के लिए नीछे देखें) और अपना प्रदेश पर फिर अपने लोकसभा क्षेत्र पर विलक करें। लोकसभा सदस्य के जानकारी के लिए (मोबाइल नम्बर आदि) उसके नाम पर विलक करें।
- उत्तराखण्ड राज्य सरकार 70 विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित है। हर एक विधान सभा क्षेत्र से एक विधायक विधान सभा के लिए चुना जाता है जो अपने लगभग 1.4 लाख मतदाताओं के लिए जिम्मेदार होता है। विधान सभा के सदस्य सीखने के लिए यहाँ या यहाँ विलक करें (भारत के मानचित्र के लिए नीछे देखें) और अपने प्रदेश पर फिर अपने लोकसभा क्षेत्र पर विलक करें। विधान सभा के सदस्य की सूची के लिए नीचे दायें देखने। अपने विधान सभा क्षेत्र के नाम पर विलक करें अपने विधान सभा सदस्य से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए।
- उत्तराखण्ड की स्थानीय सरकार ग्राम पंचायतों में विभाजित है। एक ग्राम पंचायत में औसतन 5,000 लोगों के घर होते हैं। हर एक ग्राम पंचायत का एक चुना हुआ प्रधान होता है। हर एक पंचायत में औसतन 2 गांव होते हैं। सब ग्राम पंचायतों के जानकारी के लिए यहाँ विलक करें।
- प्रशासकीय उद्देश्य से, उत्तराखण्ड 2 मण्डल में विभाजित है जो एक डिविजनल कमिशनर के तहत है। मानचित्र और प्रत्येक डिवीजन की सूची के लिए यहाँ विलक करें।
- फिर प्रत्येक डिवीजन कई जिलों में विभाजित होती है। उत्तराखण्ड में कुल 13 जिले हैं। मानचित्र, मुख्यालय कुल 13 जिलों की जनसंख्या को जानने हेतु यहाँ विल करें (नीचे की ओर स्कॉल करें)। प्रत्येक जिला का मुखिया जिला कलक्टर होता है। जिला कलक्टरों की सूची और उन से जुड़ी जानकारी के लिए यहाँ विलक करें।
- फिर प्रत्येक जिला कई तालुक/तहसील या सब-जिले में विभाजित होता है। हर एक तहसील/तालुक एक सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेट के अधीन होता है।
- प्रत्येक जिला फिर कई प्रखण्ड विकास या शहरी क्षेत्र में विभाजित होता है। तहसील, प्रखण्ड विकास और शहरी क्षेत्र के नाम जानने के लिए www.distRICTS.nic.in इंटरनेट पर चलो।
- अन्य अधिकारियों जैसे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आदि की जानकारी हेतु वेबसाइट इस पुस्तिका के उपयुक्त पृष्ठ पर दी गई है। जब आप ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वह जानकारी इस टेबल में डालें।

सेवा	पुस्तिका पृष्ठ सं.	जोन/क्षेत्र का नाम	नाम/पता/फोन नं.
राजनीतिक विभाजन			
राष्ट्रीय लोक सभा (चुनाव क्षेत्र)	3	पैर्डी गढवाल	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी / पैलेस पीओ नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड – 249175. भगवान दास रोड, फोन - 01378 227231, 227235
विधान सभा क्षेत्र	3,37	देहरादून कैंट	श्री हरवंस कपूर / विधान भवन, देहरादून / फोन – 01378 2665885/ फैकर – 01378 2666788
स्थानीय प्रशासन (पंचायत)	29	आसनसोल सालानपूर देनूअ	नेओति मंडल
प्रशासनिक डिवीजन			
डिवीजन	3		
जिला मैजिस्ट्रेट	39,40	देहरादून	बीवीआसी पुरुषोत्तम / जिला मैजिस्ट्रेट, कलेकट्रेट, देहरादून / फोन 0135- 2622389
सब-जिला (एस.डी.एम)	39,40	मसूरी देहरादून	0135- 2632503
विकास प्रखण्ड (ब्लॉक)	6	चक्रता , देहरादून	0135- 2724903
इस पुस्तिका में खास सेवाएं			
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी	16–18	देहरादून	0135-2724506, 2658104
निकटतम जिला अस्पताल	16	जिला चिकित्सालय , उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड	01374 222 103
निकटतम सा. स्वा.केंद्र	16–18	देहरादून	35, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून जीपीओ, देहरादून / फोन 9719965766
निकटतम सा. प्रा.स्वा.केंद्र	16–18	देहरादून	आर्थराला, भानियाला, ऋषिकेश, देहरादून / फोन 0135- 2411036
गेस	26	देहरादून	वेली गैंस सर्विस, 52/4 दिलाराम बाजार राजपुर रोड, देहरादून / फोन – 01352741458
स्थानीय पुलिस थाना	35	कोटवाली कैंट पुलिस स्टेशन	कोटवाली कैंट पुलिस स्टेशन / फोन – 135- 2716221, 9411112812

विषयों की सूचि (सीधे पृष्ठ पर जाने के लिए क्लिक करें

क. पीने का पानी.....	6
ख. खाद्य	7
1खाद्य – (राशन कार्ड).....	7
2खाद्य – (ऑगनवाड़ी)	8
3खाद्य – (स्कूली बच्चे—मध्यान्तर भोजन परियोजना (एम एम एस).....	9
ग. आय.....	10
1आय – (नरेगा).....	10
2आय – (पेंशन और सामाजिक सुरक्षा).....	11
3आय – (बच्ची के लिए 1 लाख)	13
4आय – रोज़गार के लिए प्रशिक्षण.....	14
5आय – ड्राइविंग लाड्सेंस.....	15
घ. स्वास्थ्य.....	16
1स्वास्थ्य – (सरकारी अस्पताल)	16
2स्वास्थ्य – (टीकाकरण)	17
3स्वास्थ्य – (गर्भधारण—जे.एस.वाई / आशा).....	18
4स्वास्थ्य – (विकलांगता सेवाएं).....	19
5स्वास्थ्य – (नशा पुनर्वास).....	20
6स्वास्थ्य – एच आई वी – एडजे.....	21
ड. विद्यालय.....	22
1शिक्षा – स्कारी स्कूल.....	22
2शिक्षा – छात्रवृत्ति और लाभ.....	23
3शिक्षा – राष्ट्रीय मुक्त विद्यलयी शिक्षा संस्थान.....	24
च. उपयोगिताएं.....	25
1 उपयोगिताएं – (बिजली).....	25
2उपयोगिताएं – (गैंस)	26
छ. सफाई.....	27
1सफाई – (शोचालय).....	27
2सफाई – (नाली करंजा)	28
ज. आवास	29
1आवास- (इंदिरा आवास योजना)	29
2आवास – (भूमिहीनों के लिए भूमि)	30
झ. कृषि.....	31
1कृषि (सिंचाई)	31
2कृषि – (कृषि बीमा)	32
3कृषि – (आर्थिक सहायता)	33
ज. सड़कें	34
ट. मानवाधिकार.....	35
1मानवाधिकार . घरेलू हिंसा.....	35
2मानवीय अधिकार: बाल मज़दूर और वेश्यावृति/अवैद्य व्यापार.....	36

ठ. पहचान के दस्तावेज़.....	37
1पहचान के दस्तावेज़—(मतदाता फोटो पहचान पत्र).....	37
2पहचान के दस्तावेज़ – आधार कार्ड	38
3पहचान के दस्तावेज़ – (जन्म एवं मृत्यु प्रमाण—पत्र).....	39
4पहचान के दस्तावेज़—(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र	40
5पहचान के दस्तावेज़ – (बैंक खाता).....	41
6पहचान के दस्तावेज़ – (व्यक्तिगत खाता नम्बर (पैन कार्ड).....	42
ठ— अतिरिक्त	43
1अतिरिक्त—(सामुदायिक समस्या के सुलझाने के दस कदम).....	43
2अतिरिक्त – सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की टेबल	45
3अतिरिक्त – अच्छा आवेदन लिखने पर टिप्पणी और एक नमूना.....	46
4अतिरिक्त – भ्रष्टाचार का सामना कैसे कर सकते हैं?	48
5अतिरिक्त – सूचना के अधिकार के प्रभावी प्रयोग पर टिप्पणी	49
6अतिरिक्त – मीडिया को इस्तेमाल करना	51
7अतिरिक्त – (प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप).....	52
आवेदन पत्र.....	53
1आवेदन पत्र – रशन कार्ड आवेदन (कृपया पृष्ठ 7 देखें).....	53
2आवेदन पत्र – नरेगा पृष्ठ 10 देखें.....	54
3आवेदन पत्र – पशन पृष्ठ 11देखें.....	55
4आवेदन पत्र – विकलांगिता प्रमाण पत्र आवेदन (कृपया पृष्ठ 19 देखें).....	58
5आवेदन पत्र – रेलवे छुट आवेदन फार्म (कृपया पृष्ठ 19 देखें).....	60
6आवेदन पत्र – मतदाता पहचान पत्र(कृपया पृष्ठ 37देखें).....	61
7आवेदन पत्र – आधार कार्ड(कृपया पृष्ठ 38देखें).....	65
8आवेदन पत्र – पैन कार्ड (कृपया पृष्ठ 42 देखें)	66

क. पीने का पानी

पीने का पानी हर व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य का मूल अधिकार है। भारत सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाएँ निश्चित रूप से हर भारतीय के लिये प्रदान की गयी हैं।

1 संबंधित विभाग

केन्द्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय – पेय जल एवं सफाई विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) लिंक करें)

उत्तराखण्ड सरकार

- उत्तराखण्ड जल संस्था: (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) लिंक करें)

स्थानीय प्राधिकारी

- गढ़वाल जल संस्था शहर के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है
- कस्बाओं और शहरों में नगर पालिका से संबंधित ज़िले



2 अधिकार (Best Source: Bharat Nirman booklet (p.11-13) <http://bharatnirman.gov.in/download.pdf>)

केन्द्र सरकार

1- भारत निर्माण के अन्तर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2012 तक सबको सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा। (वेब साइट [यहाँ](#) देखें)

- पानी की मात्रा: प्रति व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए पीने का 3 लीटर, भोजन बनाने का 5 लीटर, नहाने का 15 लीटर, धोने का 7 लीटर, अन्य 10 लीटर कुल 40 लीटर (See p11 of Bharat Nirman booklet [here](#))
- पर्याप्त कराने की विधि: प्रत्येक 250 लोगों पर एक हैंड पम्प;
- 1.6 किलोमीटर के दूरी अंदर (मैदानों में) और 100मीटर की ऊंचाई (पहाड़ियों में) ([यहाँ](#) भारत निर्माण के पृष्ठ 11 देखें)
- गुणवत्ता: वर्जित स्तर से बैक्टेरिया, केमिकल (आर्सेनिक, नाइट्रोट आदि) अधिक न हो और सुरक्षित हो।

2- वाटसन (यूनिसेफ) पीने का पानी, शौचालय। (वेब साइट [यहाँ](#) देखें)

3- राष्ट्रीय जल एवं सफाई मिशन (वेब साइट [यहाँ](#) देखें)

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 30 प्रतिशत, समय सीमा 3 माह)

- [यहाँ](#) केन्द्र सरकार की वेब साइट पर कि क्या आपके गांव में पानी की उपलब्धता की सरकारी सूचना सही है (एक विशेष गांव को ढूँढें)।
- (सभी जिलों को देखने के लिए 'एच.पी. स्टेट्स' तक स्काल करें, उपयुक्त क्षेत्र में अपने जिले को देखें)
- [यहाँ](#) केन्द्र सरकार के वेब साइट पर देखें कि क्या सरकार ने आपके प्रखण्ड के जल के स्रोतों की जांच की है या नहीं।
- ऊपर दिए गए मानक के अनुसार अगर गुणवत्ता और मात्रा सही नहीं है तो जांच या नए स्रोतों के लिए आवेदन केन्द्र सरकार: राजीव गांधी पेय जल मिशन, सम्पर्क सूचना [यहाँ](#) है,

4. दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- जहाँ शिकायत की वहाँ फिर दोबारा शिकायत करें।
- RTI to Uttarakhand Zonal office to where you applied. For PIO addresses click [here](#) (in Hindi).
- राजीव गांधी पेय जल मिशन में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दें। [यहाँ](#)

5. सफलता की कहानी

पारवा गांव हैन्डपम्प खराब हो गया था। गांव में ग्रामीण एवम स्वास्थ्य समिति द्वारा आवेदन लोक स्वास्थ्य और यंत्री विभाग को दिया गया। 3 दिन के बाद हैन्डपम्प चालू हालात में हो गया।

खा. खाद्य



1 खाद्य – (राशन कार्ड)

राशन कार्ड व्यवस्था या सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नाम से जाना जाता जिसका उद्देश्य है हर परिवार के लिए रियायती खाने का समान कम दामों में मिलना (बाजार से भी कम)। हालांकि हर जगह की तरह यहाँ भी भृष्टाचार की समस्या है इसीलिए सरकार राशन कार्ड की व्यवस्था को नकद भुक्तान के रूप में देने का विचार कर रही है।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार – खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) लिंक करें)

- Nutrition Resource Platform www.poshan.nic.in

उत्तराखण्ड सरकार – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) लिंक करें)

2 अधिकार (Best Source: Supreme court order <http://www.sccommissioners.org/FoodSchemes/TPDS.html>).

क) स्थाई निवासी ए.पी.एल (गरीबी रेखा से ऊपर) राशन कार्ड

उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को घाहे उसकी आय कुछ भी हो राशन कार्ड जारी हो सकता है।

ख) निर्धारित निवासी बी.पी.एल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड (सर्वोच्च न्यायालय के आदेश [यहाँ](#) लिंक करें)

ग) असहाय निवासी अन्त्योदय अन्न योजना राशन कार्ड यह असहाय निवासी के लिए या बी.पी.एल पर हो या न हो ([यहाँ](#) लिंक करें)

घ) राशन का दर एवं गुणवत्ता (खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग के अनुसार, वेब साइट हेतु [यहाँ](#) लिंक करें)

	गेहूं	चावल	चीनी	मिट्टी तेल
गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) (सफेद)	35 किलो / रु 6.6	35 किलो / रु 8.45	0	22 लीटर/रु 13.5
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) पीला	35 किलो / रु 4.65	35 किलो / रु 6.15	6 किलो / रु 13.25	22 लीटर/रु 13.5
अन्त्योदय योजना (एएवाई) (डिस्टीच्युट)	35 किलो / रु 2	35 किलो / रु 3	6 किलो / रु 13.25	22 लीटर/रु 9.16

3 आवेदन का तरीका

i) [यहाँ](#) इस साइट पर अपने राशन कार्ड मान्य है की जाँच करें, यदि नहीं तो;

क) एपीएल आवेदन का तरीका (प्रक्रिया [यहाँ](#) देखें)। (सफलता की आशा 50 प्रतिशत। समय सीमा 1 महीना)

अपने सर्किल कार्यालय में फॉर्म ([यहाँ](#) से डाउनलोड करें या पृष्ठ 53 पर देखें) इनके साथ जमा करें— 25 रुपये, निवास के प्रमाण (बिजली आदि के बिल की फोटो कॉपी), दो पढ़ोसियों की गवाही, दो पासपोर्ट फोटो, एक एम एल ए के द्वारा सत्यापित; 15 दिनों के अन्दर कार्ड प्राप्त करें।

ख) बी.पी.एल आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 30 प्रतिशत। समय सीमा 2 महीने)

जाँच लो कि आपके परिवार बी.पी.एल सूची पर है या नहीं [यहाँ](#) या [यहाँ](#) देख सकते हैं। अगर वह पंचायत द्वारा निकाली गई सूची में हो वो बी.पी.एल आवेदन दें सकते हैं। जाँच पड़ताल के बाद उन्हें कार्ड जारी किया जाता है। निम्नलिखित प्रक्रिया

- व्यक्ति पंचायत में आवेदन दें।
- पंचायत आवेदन ब्लॉक ऑफिस जनपद में देंगे।
- जनपद सी.ई.ओ कार्ड जारी करेंगे।

ग) अन्त्योदय अन्न योजना आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 10 प्रतिशत। समय सीमा 6 महीने)

ऊपर की प्रक्रिया की भाँति, परन्तु एक फॉर्म पर असहाय होने की स्थ: घोषणा। यह श्रेणी फिलहाल केवल विधवाओं के लिए ही उपलब्ध है जो पूर्ण रूप से असहाय हैं।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)


क) जाँच लें कि क्या आप गरीबी रेखा से नीचे की सूची में हैं ([यहाँ](#) या [यहाँ](#) मिल सकता है)। अगर आपको राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है और आप बी.पी.एल में नहीं हैं तो: जिस व्यक्ति को बी.पी.एल राशन कार्ड न दिया जाए, 30 दिन के अंदर अपील प्राधिकारी को निवेदन लिखें। 60 दिन के अंदर प्राधिकारी फेसला ले लेगी। अस्थाई बी.पी.एल राशन कार्ड दिया जाएगा जब तक फेसला न लिया जाए (उच्चतम न्यायालय के आदेश [यहाँ](#) लिंक करें)।

ख) उत्तराखण्ड सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को जनसूचना अधिकारी के पास आर.टी.आई दें (पता हेतु [यहाँ](#)); फिर

ग) रोजी-रोटी अधिकार अभियान से सम्पर्क करें (वेब साइट [यहाँ](#) है)

2 खाद्य – (आँगनवाड़ी)

भारत में कई बच्चों को खाने को नहीं मिलता। आँगनवाड़ी परियोजना के द्वारा 6 महीने – 6 साल के बच्चों (स्कूल जाने से पहले) को पौष्टिक खाना, टीकाकरण और विटामिन मौहिया कराया जाता है। कई राज्यों में यह योजना सफल रूप से कार्य कर रही है। जैसे ही बच्चे स्कूल में पहुँचते हैं वह मध्यान्तर भोजन योजना के सहभागी बन जाते हैं (मध्यान्तर भोजन पृष्ठ 9 देखें)



1 सम्बंधित विभाग

आँगनवाड़ी परियोजना समायोजित बाल विकास परियोजना का भाग है। समायोजित बाल विकास योजना राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। केन्द्र सरकार का महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय बजट और दिशा-निर्देश प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार इसका संचालन करता है।

केन्द्र सरकार –

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (वेबसाइट हेतु [यहाँ](#) लिंक करें)।

उत्तराखण्ड सरकार –

- महिला एवं बाल विकास विभाग (वेबसाइट हेतु [यहाँ](#) लिंक करें)।
- Integrated Child Development Scheme ([here](#))

2 अधिकार

(Best Source: Supreme Court order <http://www.sccommissioners.org/FoodSchemes/ICDS.html>)

6 सल की उम्र के तहत तक हर 40 बच्चों के लिए एक आँगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश (#9) के लिए [यहाँ](#) पर लिंक करें।

इस पर उच्चतम न्यायालय के हुक्म को देखने के लिए [यहाँ](#) लिंक करें। आँगनवाड़ी परियोजना के अन्तर्गत बच्चे कर सकते हैं:

- आँगनवाड़ी केन्द्र प्रत्येक दिन 10 बजे से 1 बजे तक जा सकते हैं।
- 500 कैलौरी पौष्टिक नाश्ता मिले जैसे दलिया, चना आदि।
- शिक्षा से सम्बंधित खिलौनों के साथ शिक्षा से सम्बंधित खेल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- विटामीन (जैसे लौह) प्राप्त कर सकते हैं।
- पूरक पौष्टिकता कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं (पौष्टिक आहार जैसे दलिया, चना आदि);
- कुपोषित बच्चों के लिए घर ले जाने वाला पौष्टिक आहार; और
- वज़न / लम्बाई के निरन्तर लिए जाने वाले जांच में शामिल हो सकते हैं जिसका रिकार्ड एक कॉर्ड पर रखा जाता है।
- बच्चे जो दशा 3 के कुपोषित में पाए जाते हैं उन्हें NRC में 14 दिन के लिए रखा जाता है। जहाँ उन्हे पौष्टिक आहार और डाक्टरी सेवा दी जाती है। उस दौरान माता को भी 65रु व खाना एवं आने जाने का भुगतान दिया जाता है।
- गर्भवती और नर्सिंग माताओं के लिए 600 कैलौरी नाश्ता।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 50 प्रतिशत | समय सीमा 2 माह)

क) देखें की आपके ज़िले में आँगनवाड़ी हैं या नहीं [यहाँ](#) देखें।

ख) अपनी बस्ती के 3 से 6 वर्ष के 40 बच्चों की सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ बनाएः नाम, पता,

लिंग, जन्म तिथि और माता पिता की स्वीकृति। मांग पर आँगनवाड़ी से सम्बंधित कोर्ट आर्डर (बिंदु 8

देखें) देखने के लिए [यहाँ](#) लिंक करें। सूची को दहरादून में महिला एवं बाल विकास विभाग के दफतर में जमा करें; पता [यहाँ](#)

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) उत्तराखण्ड आई.सी.डी.एस प्रोग्राम के लिए जनसूचना अधिकारी के पास आर.टी.आई दें (पता हेतु [यहाँ](#) या [यहाँ](#)); या उसके बाद

ख) रोजी-रोटी अधिकार अभियान से सम्पर्क करें। (वेबसाइट [यहाँ](#))

5 सफलता की कहानी

नुना गांव की पूनम सेन, पिता सीताराम सेन एक साल 11 माह की लड़की जो अतिकुपोषित है जिसका वज़न 8किलो 700ग्राम था। आशा के द्वारा 15 दिन के लिए NRC में भेजा गया। जहाँ उसका वज़न 9किलो 700ग्राम बढ़ा है। सरकार की तरफ से 15 दिन के लिए 65 रु प्रतिदिन मजदूरी के हिसाब से 975रु दिया गया। बच्ची पहले से स्वस्थ है उनके माता पिता खुश हैं।

3 खाद्य – (स्कूली बच्चे–मध्यान्तर भोजन परियोजना (एम एम एस)

मध्यान्तर भोजन योजना का उद्देश्य है की हर स्कूली बच्चे (कक्षा 8 तक) को एक समय का पौष्टिक खाना मिले। यह योजना भी भ्रष्टाचार से प्रभावित है। परन्तु कई राज्यों में यह योजना सफल रूप से कार्य कर रही है।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार – विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) और [यहाँ](#) लिंक करें)।
उत्तराखण्ड सरकार – मिड डे मिल ऑथोरिटी (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) लिंक करें)।

2 अधिकार (Best Source: Supreme court order <http://www.sccommissioners.org/FoodSchemes/MDMS.html>)

- समस्त सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8 तक के प्रत्येक बच्चे को स्कूल के प्रत्येक दिन पौष्टिक आहार।
- मध्यान्तर भोजन योजना के बारे में रोजी-रोटी अधिकार अभियान के कार्य को देखने हेतु [यहाँ](#) लिंक करें।
- 100 मिलियन बच्चे इसके अन्तर्गत आते हैं (संसार का सबसे बड़ा पोषक आहार कार्यक्रम)
- हर दिन, 2 माँ बाप को भोजन देखने का अधिकार हैं

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 90 प्रतिशत | समय सीमा 1 माह)

- समस्त सरकारी प्राथमिक विद्यालय (वर्ग 1 से 8 तक) में मध्यान्तर भोजन परियोजना होनी ही चाहिए।
- अगर उनके यहाँ नहीं हैं तो बच्चों के माता-पिता को सम्बंधित स्कूल को सीधे लिखना चाहिए।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

अगर भोजन की गुणवत्ता या मात्रा में कोई समस्या है तो:

1. विद्यालय में सीधे तौर से शिकायत करें, फिर
- 2- सीधे मध्यान्तर भोजन प्राधिकरण से शिकायत करें (सम्पर्क नम्बर [यहाँ](#) से प्राप्त करें।)
- 3- रोजी-रोटी अधिकार अभियान से सम्पर्क करें। (वेबसाइट [यहाँ](#) है)

5 सफलता की कहानी

यह कहानी गुड़पारा गांव की है। स्कूल में मध्यान भोजन के बारे में अध्यापक और बच्चों से पूछा तो पता चला की राशन कम मिलता है जिसके कारण बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। इस पर जौर्ज वेसली, समूह के अध्यक्ष राजेश राजन व सरपंच रतिराम प्रजापति के साथ बैठक करके इसका समाधान किया गया और समूह को निर्देश दिया गया कि पूरा राशन बच्चों के लिए बनवाया जाये इस प्रकार गुड़पारा गांव की समस्या का समाधान हो गया।

ग. आय

1 आय - (नरेगा)

महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामिण रोज़गार योजना अधिनियम 2005 शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार योजना है। इस योजना से कई परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं या बेरोज़गार हैं उनको सरकार द्वारा कम से कम 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है जैसे की सड़क बनना, सिचाई का काम कराना। यह योजना इस आशा के साथ प्रदान की जाती है ताकि ग्रामिण परिवार इस वेतन से और बेहतर सुविधाएँ देखकर अपने गावों में ही बसे रहें बजाय की शहर की ओर प्रस्थान करें।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार - ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) विलक करें)।

उत्तराखण्ड सरकार - ग्रामीण विकास विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) और [यहाँ](#) विलक करें)।

2 अधिकार (*Best Source: Supreme court order <http://sccommissioners.org/FoodSchemes/MGNREGA.html>*)

अधिक जानकारी के लिए [यहाँ](#) [यहाँ](#) और [यहाँ](#) विलक करें।

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन रोज़गार (18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यस्क)
- 15 दिनों के अन्दर कार्य मिल जाना चाहिए।
- कार्य उसी प्रखण्ड में मिलना चाहिए जहां आवेदक कार्य करता हो और अगर कार्य स्थान घर से 5 किलोमीटर से अधिक है तो यात्रा भत्ता मिलेगा।
- पहले से तय की गई कम से कम मजदूरी देनी होगी लेकिन कम से कम 122 रुपए प्रति दिन। बैंक या डाक खाते में नकद केवल जहाँ बैंक या डाक घर नहीं हैं ([यहाँ](#) विलक करें)
- कार्य अवधि के 14 दिन के अन्दर मजदूरी मिल जानी चाहिए।
- 15 दिनों के अन्तर्गत अगर कार्य उपलब्ध नहीं कराया गया हो तो रोज़गार भत्ता दिया जाना चाहिए। पहले 30 दिनों के लिए 33 प्रतिशत और उसके बाद के दिनों के लिए 50 प्रतिशत।
- कार्य स्थल पर साफ पानी, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा बच्चे की देख रेख की सुविधा और आराम के लिए शेड की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- रु 25,000 का हरज़ाना उनको दिया जाएगा जिनकी नरेगा के अंतर्गत काम करते हुए मृत्यु हो जाए या स्थाही विकलांगता का शिकार हो जाए।
- MNREGA के अंतर्गत श्रमिकों को रु
 - जनश्री बीमा योजना जो ग्रामीण लोगों के लिए बीमा और विकलांगता लाभ प्रदान करता है
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना उन सभी श्रमिकों एवं लाभार्थियों के लिए जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में 15 दिनों से अधिक काम किया है

3 आवेदन का तरीका

नरेगा - (सफलता की आशा 50 प्रतिशत। समय सीमा 6 माह)

- अपने स्थानीय पंचायत में रोज़गार कार्ड के लिए आवेदन दें। आवेदन पत्र पृष्ठ 54 देखें।
- अगर रोज़गार कार्ड हो तो काम के लिए आवेदन आप स्थानीय पंचायत जा सकते हैं या आवेदन औन लाइन भरें [यहाँ](#)।
- 15 दिनों के अन्दर कार्य प्राप्त करें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- नरेगा शिकायत निपटारा केन्द्र से सीधे सम्पर्क करें ([यहाँ](#) विलक करें।) फिर

5 सफलता की कहानी

रनगुवाँ गांव में रोज़गार कार्ड सचिव के पास रहता था जिसके कारण गांव के लोगों को रोज़गार का लाभ नहीं मिल पाता था और मजदूरों के नाम की आमदनी सचिव और सरपंच अपने पास रख लेते थे। सरपंच ठाकुर होने के कारण लोग अपने अधिकार के बारे में बोल नहीं पाते थे। फिर जब दुबारा सरपंच का चुनाव हुआ तो सभी ने नामदेव नाम की महिला को सरपंच चुना। तब से सभी गांव के लोगों को रोज़गार का लाभ मिलने लगा है और वह सभी खुश है।

2 आय – (पेंशन और सामाजिक सुरक्षा)

पेंशन सरकार द्वारा नकद भुगतान है जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। जिनके पास बिना किसी गलती के नियमित आमदनी नहीं होती।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिए <http://rural.nic.in/> विलक करें)
- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम** (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) विलक करें)

उत्तराखण्ड सरकार

- समाज कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) और [यहाँ](#) विलक करें)

2 अधिकार (*Best Source: National Social Assistance Programme (NSAP) <http://nsap.nic.in/guidelines.html>*)

क. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** *सभी 40 से 59 वर्ष की विधवाओं के लिए है। गरीबी रेखा से नीचे-रु0 200/प्रति माह, (रु. 200 केंद्र सरकार से और रु. 0 एम.प्र. सरकार से) (देखें केंद्र सरकार का साइट [यहाँ](#) न 12)

ग. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन *** 60.79 वर्ष से अधिक आयु के सभी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए। (रु200 /माह (500 अगर 80 से ऊपर) प्रत्येक माह के 7 तारीख तक भुगतान। देखें केंद्र सरकार का साइट [यहाँ](#) न 11 और सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा [यहाँ](#) देखें।)

घ. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना *** में रु. 10,000 दिए जाते हैं अगर परिवार में दुर्घटना हो या मृत्यु होने से रु 5000 का मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है। (रु. 10 हजार केंद्र सरकार से व रु. 0 म.प्र. सरकार से)। (देखें सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा [यहाँ](#)।)

ड. **विकलांगता पेशन:** सभी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए रु. 300(केंद्र) प्रति माह अगर आय कम से कम 500/प्रति माह है) (देखें केंद्र सरकार का वेबसाइट [यहाँ](#) न 15, सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा [यहाँ](#) और म.प्र. समाज कल्याण का [यहाँ](#) देखें। और विकलांगता सेक्षण पृष्ठ 19 देखें।)

वह पेंशन जिसे निशान का हर साल का सीमित पैसा उपलब्ध है तो हो सकता है कि सब शर्त पूरा करने के बावजूद पेंशन इसी साल में नहीं मिलेगा।

3 आवेदन का तरीका

- नीचे दिए गए दस्तावेज पंचायत में जमा करें।
- पंचायत जांच करेगी, उसके बाद दस्तावेज समाज कल्याण विभाग में जमा करें।
- समाज कल्याण विभाग आवेदन को स्वीकार (संभागित) करेगा।
- पेंशन बैंक / डाक घर के खाते में जमा की जाएगी और फिर व्यक्ति को भुगतान की जाएगी।

क. विधवा पेंशन (सफलता की आशा 60 प्रतिशत | समय सीमा 3 माह)

- फार्म ([यहाँ](#) से डाउनलोड करें)। (या पृष्ठ 55 पर देखें)
- आवास का 5 वर्ष का प्रमाण। (मतदाता पहचान कार्ड; या पड़ोसी, एम.एल.ए, स्थानी दूकानदार की उनके कार्ड पर लगे फोटो पर गवाही)
- बैंक खाता का नम्बर (9 संख्या वाला एम.आर.सी.आर नम्बर और 7 संख्या का आई.एफ.सी.एस नम्बर);
- 1 फोटो;
- पति का मृत्यु-प्रमाण पत्र
- निम्नलिखित वर्णन वाला शपथ पत्र: नाम; पता; बी.पी.एल.; परिवार के सभी लोगों का विवरण; और किसी अन्य पेंशन का न प्राप्त करने, पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह न होने और पुनर्विवाह की स्थिति में सरकार को सुचित करने की घोषणा।

ग. वृद्धावस्था पेंशन – (सफलता की आशा 60 प्रतिशत | समय सीमा 3 माह)

- फार्म ([यहाँ](#) से डाउनलोड करें)। (या पृष्ठ 55 पर देखें)
- आवास का 5 वर्ष का प्रमाण। (मतदाता पहचान कार्ड; राशन कार्ड या 2 पड़ोसी की गवाही)
- बैंक खाता का नम्बर (9 संख्या वाला एम.आ.सी.आर नम्बर और 7 संख्या का आई.एफ.सी.एस नम्बर);
- 1 फोटो;
- निम्नलिखित वर्णन वाला शपथ पत्र: नाम; पता; बी.पी.एल और कोई अन्य पेंशन न प्राप्त किए जाने की स्वीकृति।

४. आय अर्जित करने वाले की मृत्यु – (सफलता की आशा 60 प्रतिशत। समय सीमा 3 माह)

- फार्म ([यहाँ](#) से डाउनलोड करें)
- मृत्यु के समय जीवित व्यक्ति 18–64 वर्ष
- आवास का 5 वर्ष का प्रमाण। (मतदाता पहचान कार्ड; राशन कार्ड या फाटो पर 2 पड़ोसी, एम.एल.ए., स्थानीय दुकानदार की गवाही)
- बैंक खाता का नम्बर (9 संख्या वाला एम.आ.सी.आर नम्बर और 7 संख्या का आई.एफ.सी.एस नम्बर);
- 1 फोटो;
- आय अर्जित करने वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निम्नलिखित वर्णन वाला शपथ पत्र: नाम; पता; बी.पी.एल और कोई अन्य पेंशन न प्राप्त किए जाने की स्वीकृति।

५. विकलांगता पेशन (सफलता की आशा 30 प्रतिशत। समय सीमा 5 माह)

- फार्म ([यहाँ](#) से डाउनलोड करें)। (या पृष्ठ 55 पर देखें)
- आवास का 5 वर्ष का प्रमाण। (मतदाता पहचान कार्ड; राशन कार्ड या 2 पड़ोसी की गवाही)
- बैंक खाता का नम्बर (9 संख्या वाला एम.आ.सी.आर नम्बर और 7 संख्या का आई.एफ.सी.एस नम्बर);
- 1 फोटो
- विकलांगता प्रमाण पत्र >40% प्रतिशत एवं
- शपथ—पत्र: नाम, पता, कोई अन्य पेंशन न प्राप्त करने का।

४. दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- पंचायत में जांच करें; फिर
- समाज कल्याण विभाग को आर.टी.आइ (सम्पर्क देखने हेतु वेबसाइट देखें (हिन्दी में) [यहाँ](#) क्लिक करें)।

५. सफलता की कहानी

गोरारी गांव के हंसी कुशवाहा जिनकी उम्र 70 वर्ष की है। उन्होंने पेशन पाने के लिए सरपंच व पटवारी से मिले परन्तु उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसकी जिम्मेदारी टेली स्वास्थ्य कार्यकार्ता ज़हर सिंह यादव ने ली और नौगांव ब्लॉक में जाकर फार्म भरवाया और उसे पटवारी पुरन लाल पोदर व सरपंच चंदा बाई अहिरवार से आगे बढ़वा कर सचिव सुनिल कुमार को दिया। उन्होंने इस फार्म को नौगांव ब्लॉक में जाकर जमा करवाया और अब हंसी कुशवाहा को वृधा अवस्था पेंशन 150रु मिल रही है।

3 आय – (बच्ची के लिए 1 लाख)

हर साल हजारों लड़कियों को गर्भ से ही गिरा दिया जाता है। धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए भुगतान प्रदान किया जाता है। ताकि भारतीय परिवार लड़कियों के जीवन व शिक्षा की महत्वता को समझें।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (वेबसाइट हेतु <http://wcd.nic.in/> विलक करें)।

उत्तराखण्ड सरकार – महिला एवं बाल विकास विभाग (वेबसाइट हेतु [यहाँ](#) विलक करें)। उसमें समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) पर विलक करें।

2 अधिकार (*Best Source: Women & Child Devel (<http://wcd.nic.in/publication/ar2009-10/english/WCD/chapter%204.pdf>)*)

Nanda Devi Kanya ([here](#))

Matrtiva Indira Gandhi Yojna ([here](#))

- Rs4,000 for first and second child

Gaura Devi Kanya Dhan Yojana ([here](#))

- 25,000 for BPL (or income certificate) girls passing inter

3 आवेदन का तरीका

- महिला एवं बाल विकास के स्थानीय कार्यालय को प्राप्त करें।
- यह भरें और महिला एवं बाल विकास के स्थानीय कार्यालय को वापस दर्ज।
- बालिका 1 आयु होने से पहले लगू करें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- पंचायत में जांच करें; फिर
- महिला एवं बाल विकास विभाग को आर. टी. आई दें ([यहाँ](#) विलक करें)।

5 सफलता की कहानी

वर्गीस मैथ्यू प्रेरण परियोजना के स्टाफ थे उनकी लड़की मिशन अस्पताल में पैदा हुई थी। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उनके पास यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं था। बाद में आंगनवाड़ी के परियोजना अधिकारी से बात करने पर आदेश अनुसार लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा उन्हें मिल सका क्योंकि उन्होंने उसके साथ और भी दस्तावेज़ संगलगन किये थे।

4 आय – रोज़गार के लिए प्रश्न

जन शिक्षा संस्थान के पास ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो सामान्य रूप से व्यवसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान वो भी बहुत कम दाम में देते हैं। इस प्रशिक्षण लेने के लिए पहले से शिक्षित होने की भी योग्यता अहम नहीं होती। यह संस्थान उन लोगों के लिए बनाई गयी है जो बस्ती या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकारः

- जन शिक्षा संस्थान (<http://www.nlm.nic.in/jss.htm>) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
 - राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सूचना सेवा (<http://dget.nic.in/schemes>) और
 - कौशल विकास पहल योजना, (<http://dget.nic.in/mes>) मांड्यूलर रोजगार कौशल पर आधारित श्रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ए क्षम और रोजगार मंत्रालय।

2 अधिकार (Best Source: Jan Sikshan Sansthan <http://www.nlm.nic.in/jss.htm>)

a) जन शिक्षा संस्थान

- जन शिक्षा संस्थान में 371प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान किये जाते हैं, जैसे मोमबत्ती बनना, सिलाई से कमप्यूटर कॉस।
 - जन शिक्षा संस्थान उन लोगों के लिए जो सामाजिक रूप से पिछरे हैं जैसे अनुसूचित जनजाति, अनपढ़, मज़दूर और उनके परिवार वगैरा ।
 - जन शिक्षा संस्थान 371 अलग अलग कॉसं कराता है ।
 - उत्तराखण्ड में 06 जन शिक्षा संस्थान केंद्र हैं। जगहों के लिए यहाँ विलक करें देखें

b) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सचना सेवा

- शिल्पकार प्रशिक्षण: सरकार के आई.टी. आई संस्थानों में मामूली शुल्क पर प्रशिक्षण कर सकता है। 127 द्रेडों | अवधि :6-12 महीने | शिक्षा: कक्षा 8वीं और उपर | <http://dget.nic.in/schemes/cts/TradeList.htm>
 - महिलाओं के पाठ्यक्रमों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कि पोशाक बनाना, कंथूटर संचालन , बालों की देखभाल। न्यूनतम उम्र 14 | अवधि 1 सप्ताह से 1 वर्ष तक।
 - केन्द्र सरकार के माध्यम से (11 संस्थान सहित नोएडा, इलाहाबाद) <http://dget.nic.in/schemes/oldwot/Centralesector.htm>
 - उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से (आई.टी. आई के माध्यम से) <http://dget.nic.in/schemes/oldwot/StateSector.htm>.

c) मांडियूलर रोजगार कौशल

मांड्यूलर रोजगार कौशल पर आधारित लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, यह लाभकारी रोजगार के लिए न्यूनतम कौशल हैं। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष हैं। योग्यता 5 वीं कक्षा हैं।

<http://dget.nic.in/mes/Downloads/SDIManual1Oct.pdf>
<http://dget.nic.in/mes/annex4.pdf> (skills list July 2012)

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 50 प्रतिशत | समय सीमा 6 माह)

a) जन शिक्षा संस्थान

- दाखिला कराने का समय अप्रैल और अक्टूबर महीने में होता है । सारे कोर्स 6 महीने के होते हैं ।
 - सेंटर जाके भी दाखिला हो सकता है (सेंटर के पता के लिए [यहाँ](#) विलक करें)
 - दाखिले के लिए कुछ दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है । राशन कार्ड , 2 पहचान पत्र, 4/5 पासपार्ट साइज़ फोटो ।
 - फीस मात्र : 100 रुपए ।

b) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संचना सेवा

- सरकार मुदों एडमिशन नोटिस | शुल्क ₹ 50- 150 | उदाहरण: <http://dget.nic.in/admission/NVTI-Short-Term-Adm.pdf>
 - राज्य की सची और जानकारी <http://dget.nic.in/lisdapp/General>List/LstState.asp?ListType=10>

c) मांड्यूलर रोजगार कौशल

- राज्य सरकार के मुछदों प्रशिक्षण और जानकारी के बारे में अखबारों में प्रवेश के लिए नोटिस ।
 - प्रशिक्षण शल्क रेंज (रु 500-200) और सफलतापूर्वक परा होने पर वापस करेंगे और वंचित समझौं के लिए 25% छट ।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता न मिले)

- सीधे संस्थान के मुख्य अधिकारी से मिले । ।
 - सम्बंधित JSS को आर.टी.आइ डालिए (संपर्क के लिए [यहाँ](#) विलक करें) । ।

5 आय - ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस मुहर का वैधीकरण में परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए, प्रत्येक धारक करने को एक वाहन अभियान के एक विशेष श्रेणी दी गई।



1 सम्बंधित विभाग

- उत्तराखण्ड सरकार: राज्य परिवहन विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें)।

2 अधिकार (Best Source: <http://www.advocatekhoj.com/library/legalforms/howdoi/index.php?Pno=drivinglicence.php>)

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार जानकारी के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें।

- लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस
- स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस
- अन्य ड्राइविंग लाइसेंस जैसे नवीकरण, डुप्लीकेट आदि।
- कोई भी व्यक्ति की उम्र 18 साल, जो वाहनों चला सकते हैं, वो लाइसेंस के लिए पात्र हैं।
- 16 साल के उम्र से दो पहिया वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं / वाहन 50CC तक और गियर के बिना (आवेदक के आवेदक माता पिता या अभिभावक अपनी सहमति देते हैं)
- कर्मिशील वाहन लाइसेंस के लिए 20 साल होना जरूरी है।

3 आवेदन का तरीका

- उम्र पात्रता- 18 वर्ष पर दो अपवादो के साथ:
- ✓ 16 वर्ष के लिए दो पहिया वाहन/वाहन 50CC तक और बिना गियर के
- ✓ 20 वर्ष-वाणिज्यिक वाहन
- ऑनलाइन पंजीकरण के लिए और प्रपत्र के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें।
- या अपने निकटतम स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पर जाएँ।
- पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और प्रासंगिक दस्तावेजों जिनमें उम्र और पते पुष्टि में दी गई हो। इनको भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें। जानकारी के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें।
- लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म 2 में आवेदक के साथ लाइसेंसिंग प्राधिकरण में जमा कारे, फॉर्म 1 में मेडिकल प्रमाणपत्र के साथ, आयु प्रमाण, पते का सबूत, निर्दिष्ट फिस और 3 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ।
- रेगूलर और पर्मानेन्ट ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए - देहरादून, हरिद्वार, बद्रीनाथ के लाइसेंसिंग औथोरिटी में - आवेदन फॉर्म 4, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग प्रमाणपत्र जो द्रेनिंग स्कूल द्वारा अनुमोदित हो यह परिवहन वाहन लाइसेंस के लिए अनिवार्य है, निर्दिष्ट फिस और 3 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ।
- ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण के लिए लाइसेंस धारक आपना पर्मानेन्ट ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आवेदन जमा करना होगा, फॉर्म 1 A में चिकित्सा प्रमाणपत्र, आवेदन फॉर्म 4, निर्दिष्ट फिस और 3 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ।
- अधिक जानकारी के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें और फॉर्म डाउलोड करने के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

असफल अनुप्रयोगों और अन्य शिकायतों के लिए

- स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें (अधिक जानकारी के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें)
- परिवहन विभाग के लोग सूचना अधिकारी को आर.टी.आई करें (अधिक जानकारी के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें)

5 सफलता की कहानी

४. स्वास्थ्य



१ स्वास्थ्य – (सरकारी अस्पताल)

सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज, दवाईयाँ और डाक्टरी सलाह उपलब्ध होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश, सामाजिक अस्पताल व्यवस्था को कम सहायता मिलने के कारण अस्पतालों, डाक्टरों और दवाईयों की कमी है। जिसके बजाए से अस्पताल बहुत भीड़ होती है। तभी मध्य वर्ग के लोग निजी अस्पताल में जाते हैं। हाल में, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों के लिए RSBY योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल की योजना बनाई गई है।

१ सम्बन्धित विभाग

केन्द्र सरकार:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) विलक करें)।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना: गरीबों हेतु स्वास्थ्य बीमा (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) विलक करें, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए [यहाँ](#) विलक।

उत्तराखण्ड सरकार:

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) विलक करें)।
- हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना: गरीबों हेतु स्वास्थ्य बीमा (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) विलक करें,)।
- यू स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड: यह राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेशनरों को कैशलेस योजना प्रदान करते हैं (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) विलक)।

२ अधिकार (*Best Source: World Health Organisation, http://www.jsk.gov.in/district_health.asp*)

क) सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर सभी उत्तराखण्ड निवासियों के लिये एक उच्च गुणवत्ता की सस्ती उपचार:

- जिला अस्पताल (प्रति जिला-1, आबादी 20 लाख, बहुउद्देश्य डाक्टर एवं जांच) जिला अस्पताल की सूची हेतु [यहाँ](#) विलक करें; सरकारी अस्पताल हेतु [यहाँ](#) विलक करें।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रति सब-जिला-1; आबादी 1 लाख, 4 डाक्टरों का स्टॉफ)
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रति प्रखण्ड-1; आबादी 30000, 1 डाक्टर का स्टॉफ)
- सब-सेंटर केंद्र (1 प्रति 5000, 1 ANM का स्टॉफ)

उत्तराखण्ड में सभी पी.एच.सी / सब-सेंटर केंद्र के लिए [यहाँ](#) विलक करें।

मेरा नजदीकी जिला अस्पताल है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है पृष्ठ 3 के टेबल पर इसे डालें।

मप्र. के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के मानविक हेतु [यहाँ](#) विलक करें और प्राथमिक/सब-सेंटर के मानविक और दूरी जानने हेतु [यहाँ](#) विलक करें।
ख) स्मार्ट कार्ड रखने वाले लोगों का इलाज रु. 30,000 तक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत) केंद्र सरकार का वेबसाइट देखें [यहाँ](#)

३ आवेदन का तरीका (सफलता की आशा ८० प्रतिशत | समय सीमा २ से ५ दिन)

क) स्थाई निवासी के लिए: किसी भी सरकारी अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और लाईन में प्रतीक्षा करें।

मेरा नजदीकी जिला अस्पताल है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है पृष्ठ 3 के टेबल पर इसे डालें।

ख) स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) रखने वाले: समस्त प्रक्रिया के लिए [यहाँ](#) विलक करें।

- तैयारशुदा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बीमाकर्ता को दी जाती है बीमाकर्ता सूची को भेजता है और दाखिले की तिथि की सूचना देता है।
- उन तारीखों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार फोटो और अंगुलियों के निशान देने के लिए आते हैं और कार्ड (परिवार के पांच सदस्यों के लिए) 15 मिनट के अन्दर जारी कर दिया जाता है। लागत रु.30/- है। प्रति वर्ष 30,000 तक इलाज करा सकते हैं।
- कार्ड रखने वालों को अस्पतालों की एक सूची दी जाती है जहां वे जा सकते हैं। अस्पतालों की सूची के लिए [यहाँ](#) विलक करें।
- जब मरीज, कार्ड रखने वाला सूची में दिए गए अस्पताल में जाता है तो वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के सहायता-डेस्क पर जाता है जहां उसे कार्ड की जांच की जाती है। अगर उसे दाखिल करने की आवश्यकता है, तो रु.30,000 में से तयशुदा शुल्क काट ली जाती है और रु.100 यात्रा शुल्क के तौर पर अदा किया जाता है।
- प्रक्रियां जो अन्तर्गत आता हैं और नहीं आता हैं, उस के लिए [यहाँ](#) देखें।

४ दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) अस्पताल के मेडिकल सुपरिनेंटेंट के पास लिखित शिकायत करें। फिर

ख) जिला, जिसमें वह अस्पताल है, उसके मुख्य जिला मेडिकल अफसर

ग) अपने राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ([यहाँ](#) सूची देखें) को शिकायत है; तो


घ) उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को आर.टी.आई दें फिर (पी.आई.ओ के लिए [यहाँ](#) विलक करें)

झ) उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसायटी विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) विलक करें) को आर.टी.आई दें फिर

च) [यहाँ](#) स्मार्ट कार्ड राज्य नोडल अधिकारी के लिए [यहाँ](#) विलक करें।

2 स्वास्थ्य – (टीकाकरण)

आज भी भारत में शिशु मृत्युदर ज्यादा पाया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है टीकाकरण राष्ट्रीय की कमी होना। जिसकी वजह से हर साल लाखों उन बिमारियों से मरते हैं जिनको असानी से रोका जा सकता है। निम्नलिखित योजनाओं का उद्देश्य है जिसे टीकाकरण राष्ट्रीय बढ़ा सके।



1 सम्बंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) लिंक करें)
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दस्तावेज (पृ.6) [यहाँ](#) लिंक करें।

उत्तराखण्ड सरकार:

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) लिंक करें)।

2 अधिकार

(Best Source: Jansankhya Sthirata Kosh http://www.jsk.gov.in/district_health.asp)

सार्वभौमिक टीकाकरण देने के लिए उत्तराखण्ड की सरकार का उद्देश्य निम्नलिखित है (केंद्र सरकार का कार्यक्रम [यहाँ](#))

आयु	टीकाकरण
जन्म के 48 घंटे के बीच	ओ.पी.वी (पोलियो)ए हेपिटाइटस बी
0-1 माह	बी.सी.जी (टी.बी)
1.5 माह	डी.पी.टी. प्रथम, ओ.पी.वी (द्वितीय)ए हेपिटाइटस बी
2.5 माह	डी.पी.टी. द्वितीय, ओ.पी.वी (तीसरा)ए हेपिटाइटस बी
3.5 माह	डी.पी.टी. तीसरा, ओ.पी.वी (चौथा)ए हेपिटाइटस बी
6-9 माह	ओ.पी.वी (पोलियो पांचवा)
9 माह	खसरा, विटामीन ए
15-18 माह	एम.एम.आर., डी.पी.टी.
16-24 माह	डी.पी.टी. (पहला बूस्टर) ओ.पी.वी.पोलियो (पहला बूस्टर)
2-5 साल	टाइफाइड
5 साल	डी.पी.टी. (बूस्टर), ओ.पी.वी पोलियो (दूसरा बूस्टर)

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 80 प्रतिशत | समय सीमा 7 दिन)

क) टीकाकरण की प्रक्रिया :

- आशा गांव के लोगों को प्रोत्साहित करती है बच्चों का टीकाकरण कराने के लिए।
- हर गांव में ANM बच्चों को टीका हर महीनो टीकाकरण दिवस पर लगाती है।

ख) अगर आशा व्यवस्था चालू न हो तो अपने बच्चे को लेकर जाएः

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उप केंद्र सूची के लिए [यहाँ](#) लिंक करें
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूची के लिए [यहाँ](#) लिंक करें

नोट: (म.प्र. में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के मानचित्र हेतु <http://www.jsk.gov.in/mp/mp.pdf> लिंक करें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गांवों की दूरी / मानचित्र हेतु [यहाँ](#) लिंक करें)


मेरा निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है..... और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है..... एवं उप केंद्र है..... पृ. 3 के टेबल पर लिखें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- क) मेडिकल अफसर/उप केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इनचार्ज को लिखित शिकायत दें; या
- ख) उक्त जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से जिसमें वह सुविधा है, शिकायत करें (सूची [यहाँ](#) देखें)

3 स्वास्थ्य – (गर्भधारण-जे.एस.वाई/आशा)

भारत में आज भी मातृ मृत्युदर ज्यादा है। निम्नलिखित सरकारी योजनाएँ और आशा इसलिए प्रदान की गई हैं ताकि महिलाएँ अपनी गर्भावस्था में नियमित रूप से जाँच कराएँ और प्रसव के समय अस्पताल जाने के लिए उत्सुक रहें।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) विलक करें)।

उत्तराखण्ड सरकार:

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) विलक करें)।

2 अधिकार (Best source: Janani Suraksha Yojana <http://jknrhm.com/PDF/JSR.pdf>)

क) उत्तराखण्ड में प्रत्येक महिला के लिए प्रसव के दौरान सेवा करना निःशुल्क है :-

- टीकाकरण और ऑयरन और फोलिक एसिड की गोली का वितरण
- सुरक्षित प्रसव अस्पताल में
- प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा की देख-रेख

यह कार्य की जिम्मेदारी आशा के कार्यकर्ता को दी गई है। आशा के कार्य के बारे में देखने के लिए [यहाँ](#) विलक करें और पृष्ठ 6 देखें।

क) **जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम:** उत्तराखण्ड में हर गर्भवती महिला के लिय जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क लाभार्थी निम्नलिखित शामिल हैं; यहाँ उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की [वेबसाइट](#) के अनुसार हैं द्वारा

- निःशुल्क और कैशलेस डिलीवरीए निःशुल्क सिजेरियन डिलीवरीए 30 दिन तक नवजात का निःशुल्क उपचार ए प्रयोक्ता शुल्क से छूटए निःशुल्क दवाएं और उपभोज्यए निःशुल्क निदान ए स्वास्थ्य संस्थानों में प्रवास के दौरान निःशुल्क आहार दृ नार्मल डिलीवरी के मामले में 3 दिन और सिजेरियन डिलीवरी के मामले में 7 दिन ए रक्त का निःशुल्क प्रावधान ए घर से स्वास्थ्य संस्थानों के लिए निःशुल्क परिवहन ए रेफरल के मामले में सुविधाओं के बीच निःशुल्क परिवहन और 48 घंटे प्रवास के बाद संस्थानों से घर वापस दोप।
- 30 दिनों के जन्म के बाद तक बीमार नवजात शिशुओं के लिए निःशुल्क लाभार्थीए निःशुल्क उपचार ए निःशुल्क दवाएं और उपभोज्यए निःशुल्क निदान ए रक्त का निःशुल्क प्रावधान ए प्रयोक्ता शुल्क से छूटए घर से स्वास्थ्य संस्थानों के लिए निःशुल्क परिवहन ए रेफरल के मामले में सुविधाओं के बीच निःशुल्क परिवहन और 48 घंटे प्रवास के बाद संस्थानों से घर वापस दोप।

ख) **जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई)** के अन्तर्गत (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) विलक करें)

अस्पताल में प्रसूति होने पर माता को रु 1400 (रु1,000 अगर शहर में है) का और आशा के कार्यकर्ता को रु600 (रु200 अगर शहर में है) भुगतान दिया जाएगा। LPS प्रदेशों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, हरिणा, उत्तरखण्ड, राजस्थान, ओडीसा [यहाँ](#), आसाम, कशमीर में यह सब महिलाओं के लिए या गरीबी रेखा से नीचे हो या नहीं।

जे.एस.वाई और आशा **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** के अन्तर्गत आते हैं। (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) और [यहाँ](#) विलक करें)।

ग) **राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत** (राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के बारे में जानने के लिए [यहाँ](#) विलक करें।

- गरीबी रेखा से नीचे की समस्त गर्भवती महिला को रु. 500 / का भुगतान 19 साल से ऊपर और दो जीवित जन्मों के लिए।
- प्रसूति चाहे किसी भी स्थान पर हुई हो
- प्रसूति के 8 से 12 सप्ताह पहले भुगतान

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 80 प्रतिशत | समय सीमा 14 दिन)

क) गर्भावस्था के दौरान आशा द्वारा देखभाल

अगर आशा कार्य नहीं करती तो, अपने निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवेदन दें। सूची के लिए [यहाँ](#) विलक करें

नोट: (म.प्र. में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के मानचित्र हेतु <http://www.jsk.gov.in/mp/mp.pdf> विलक करें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गांवों की दूरी/मानचित्र हेतु [यहाँ](#) विलक करें) मेरा निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है.....पृ.3 के टेबल पर देखें।

ख) **जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अस्पताल में प्रसव के लिए भुगतान देना**

- सधारण रूप से आशा के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं।
- छुट्टी होने के समय भुगतान ले लें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) **जननी सुरक्षा योजना** अगर भुगतान में कोई परेशानी आती है तो:

चिकित्सा अधिकारी/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज को लिखित शिकायत दें, फिर

जिस जिले में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आता है उसके मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायत करें (सूची [यहाँ](#) देखें), फिर

4 स्वास्थ्य – (विकलांगता सेवा)

विकलांग लोगों को अभी भी हमारे देश में दुसरी श्रेणी के नागरिक माना जाता है।

निम्नलिखित योजनाएँ विकलांगता के बोझ को कम करने के लिए बनाई गयी हैं।

ई.एच.ए अब विकलांग लोगों के लिए योजनाओं पर एक मैनुअल का उत्पादन किया गया / ‘एडवोकेसी मैनुअलस’ देखने के लिए ई.एच.ए वेबसाइट www.eha-health.org में क्लिक करें।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) क्लिक करें)।

उत्तराखण्ड सरकार:

- सामाजिक न्याय विभाग (वेबसाइट हेतु क्लिक करें)।

2 अधिकार (Best Source: Social Justice & Empowerment <http://socialjustice.nic.in/schemespro3.php>)

क. विकलांगता प्रमाण पत्र

- 40 प्रतिशत से अधिक अपंगता, सरकारी डाक्टर के प्रमाणित से।
- अन्य सेवाएं पाने के लिए यह प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

ख. विकलांगता पेंशन (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना की अधिक जानकारी हेतु [यहाँ](#) न 13 या [यहाँ](#) क्लिक करें:

- 18–59 वर्ष आयु
- गरीबी रेखा से नीचे या जिनकी आय रु 1,000 से कम है।
- विकराल या बहुप्रकारीय विकलांगता (विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है अगर 40% से ज्यादा विकलांगता हो)
- रुपए 125/प्रति माह (केंद्र सरकार और राज्य सरकार) से मिलता है। वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) और [यहाँ](#) क्लिक करें।
- डाक घर या पब्लिक सेक्टर बैंक में खाते के द्वारा भुगतान किया जाता है।

ग. बसों और रेल गाड़ियों में छूट क्लिक करें [यहाँ](#)

- सरकारी बसों में 80 प्रतिशत छूट और सहायक के लिए भी
- रेल गाड़ियों में छूट जो :

हड्डी रोग से ग्रस्त इनसान को : 75 की छूट (50% AC बोगी और 25% राजधानी रेल गाड़ी में कोई छूट नहीं है)

मानसिक विकलांगता में : 50 की छूट और सहायक के लिए भी

गूँगे और बेहरे : 50 से विकलांगता

घ. सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की और बहुत सारी योजनाएं ([यहाँ](#) और [यहाँ](#) देखें)।

3 आवेदन का तरीका

क. विकलांगता प्रमाण पत्र (सफलता की आशा 30 प्रतिशत। समय सीमा 12 माह)

- आवेदन फार्म [यहाँ](#) है या पृष्ठ 58 पर देखें।
- जिला अस्पताल से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, और(फार्म 10 से 1 बजे तक लेते हैं और 2 बजे के बाद मामलों पर विचार विर्मश किया जाता है)
- फॉर्म, 2 फोटो (1 प्रमाणित), राशन कार्ड या पहचान पत्र

ख. विकलांगता पेंशन (सफलता की आशा 30 प्रतिशत। विकलांगता प्रमाण पत्र के बाद समय सीमा 6 माह)

- ग्राम पंचायत में आवेदन करें जिस से विकलांग योग्य व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए। ज़रूरी दस्तावेज़ विकलांगता पेंशन को पृ 12 देखें।

ग. रेल गाड़ियों में छूट

- रेलव स्टेशन पर आवेदन करना ([यहाँ](#) देखें या पृ 60 में फार्म की कॉपी लें)।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए) अपने जिले के सीएमओ को अपील/ आर.टी.आई दें।
- विकलांगता आयुक्त से शिकायत करें, हर राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिय सूची [यहाँ](#)
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अपील/ आर.टी.आई दें। (संपर्कों के लिय क्लिक करें)

5 स्वास्थ्य – (नशा पुनर्वास)

निराशा या बिना उम्मीद से धिरे गरीब लोग कई बार नशे और दारू में पड़ जाते हैं। नशे से ना ही नशेड़ियों पर उनके परिवारों और पड़ोसियों का भी जीवन कठिन बन जाता है। सरकार ने निशुल्क पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास कर रही है जिससे नशेड़ी अपनी आदतें (शराब/नशा) छोड़ सकें।



1 सम्बन्धित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) क्लिक करें)।

उत्तराखण्ड सरकार:

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट हेतु [यहाँ](#) क्लिक करें)।

2 अधिकार (*Best Source: UN Office on Drugs & Crime [here](#).*)

- सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क नशा मुक्ति उपचार। (अस्पताल की सूची [यहाँ](#) क्लिक करें)।
- सरकारी सहायता से बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं नशा मुक्ति कार्यक्रम चला रही हैं। ([यहाँ](#) क्लिक करें)।
- 24 घंटे स्वास्थ्य हेल्पलाइन 1800 266 2345 बिना किसी खर्च के।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 10 प्रतिशत | समय सीमा 1 वर्ष)

- सफलता के लिए प्रतिष्ठित रखने वाले अस्पताल में आ.पी.डी के दिनों में जाएं। उत्तर प्रदेश में पुरुषों के लिए जिला अस्पतालों की सूची के लिए क्लिक करें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- क) अस्पताल के मेडिकल सुपरिनेंटेंट के पास लिखित शिकायत करें। फिर
ख) जिलस, जिसमें वह अस्पताल है, उसके मुख्य जिला मेडिकल अफसर (सूची के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें); फिर

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी [यहाँ](#) लिखें।

6 स्वास्थ्य – एच आई वी – एडज

एच आई वी के साथ जीने वाले व्यक्ति हमारे समाज के किनारे पर होते हैं। सरकार अब एक प्रनाली स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं जो एच आई वी घनात्मक लोगों की सुरक्षा व देखा रखा करें।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नेशनल एड्स कंट्रोल संस्था (NACO)
वेबसाइट <http://www.nacoonline.org/>

उत्तराखण्ड सरकार:

- उत्तराखण्ड राज्य एड्ज कंट्रोल सोसाइटी, स्टेट एड्ज प्रेवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटी (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) लिंक करें)

2 अधिकार (Best Source: National Aids Control Organisation <http://www.nacoonline.org/>)

- एच आई वी जाँच :** गोपनीय, मुफ्त जाँच इन्ट्रोटेड कॉन्सेलिंग, एवं टेस्टिंग सेंटर द्वारा किया जाता है (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) लिंक करें)। उपचार के लिए नामांकित ऐन केन्द्रों में जाँच के लिए एड्स रोगियों को रेल यात्रा में 2 बसें में 50: और डैज और फैज में 50: की रियायत प्राप्त होगी
 - एक सहायक को भी उतनी ही रियायत मिलेगी
- इलाज:** वो व्यक्ति जिनको जाँच के द्वारा एच आई वी साबित होता है वो ART सेंटर से मुफ्त इलाज पा सकते हैं। ART के सूची के लिये [यहाँ](#) लिंक करें
- बद्ध देखभाल व सहारा :** ये कम्यूनिटी केयर सेंटर में उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो एच आई वी एडज ग्रस्त हैं। (वेबसाइट और कम्यूनिटी केयर सेंटर सूची के लिये [यहाँ](#) लिंक करें)
- अधिकार का बचाव :** सहमति पत्र, गोपनीयता, भेद भाव न करना। वेब [यहाँ](#)
 - वयस्क और बच्चों को सरकारी संस्था में बिना भेद भाव के चिकित्सा और शिक्षा प्राप्त कर सकें।
 - किसी सरकारी संस्थान के मालिक किसी कर्मचारी को केवल उसके एच आई वी घनात्मक होने के कारण उसे नौकरी से बेदखल नहीं कर सकता और न ही उसके नौकरी को नकार सकता है, और उसकी एच आई वी घनात्मक अवस्था के कारण किसी प्रकार का भेद भाव उसके मौलिक अधिकार का हनन है।

3 आवेदन का तरीका

जाँच, इलाज, देखभाल और सहयोग सेवा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं :

- ICTC केंद्र (स्थान के लिये [यहाँ](#) लिंक करें)
- ART केंद्र (स्थान के लिये [यहाँ](#) लिंक करें)
- सामुदायिक सेवा केंद्र (स्थान के लिये [यहाँ](#) लिंक करें)

ART केंद्र में नामांकन से पहले ज़रूरी कागजात :

- ICTC से प्राप्त एच आई वी घनात्मक जाँच परिणाम
- फोतो
- पहचान पत्र

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) संपर्क करें Delhi Network of Positive People (DNP Plus). पता: घर 64, गली 3, IGNOU के पास, नेब सराई, दिल्ली 110068 Tel: 011-29535239 / 32935239

ख) संपर्क करें सामूहिक विधिवक्ता एच आई वी/एड्ज इकाई वेबसाइट: www.lawyerscollective.org

टेलीफोन: 011- 46805555

ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं वेब साईट [यहाँ](#)

घ) कानूनी कार्यवाई हो सकती है अगर कोई बिना सहमति पत्र के भूत के लिए जाँचा गया हो ए या गोपनीयता भंग की गई हो या किसी भी अधिकार का हनन हुआ हो

ड. विद्यालय

1 शिक्षा - सरकारी स्कूल

भारत में सबसे बड़ा मतभेद शिक्षा व्यवस्था के द्वारा पाया जाता है। गरीब लोगों के पास सरकारी स्कूलों का सहारा होता है, जो हिन्दू माध्यम के होते हैं। उन में सुविधाएँ कम होने के साथ-साथ अति-संकुलित होते हैं। जबकि, मध्य वर्ग के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भेजने में सक्षम होते हैं, जिनमें कक्षा के छात्रों की संख्या कम और पढ़ाई भी अच्छी होती है। जिनमें से कई आगे चलकर कॉलेज जाते हैं। वही दूसरी तरफ कुछ ही सरकारी स्कूल के बच्चे दाखिला ले पाते हैं। निम्नलिखित योजनाएँ इस उद्देश्य से बनाए गए हैं की गरीबों की साक्षरता में गुणवत्ता बढ़े।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) विलक करें)।
- बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ([यहाँ](#) विलक करें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- उच्च शिक्षा निदेशालय (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) या [यहाँ](#) विलक करें)।

2 अधिकार (Best Source: Sarv Shiksha Abhiyan <http://ssa.nic.in/>)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत

- निःशुल्क (आठवीं तक) शिक्षा** स्थानीय विद्यालय में सभी बच्चों के लिए। इसमें विकलांग बच्चे भी सम्मिलित हैं। इसमें मुफ्त न्दपवित्र और पुस्तकें और विकलांग बच्चों को मुफ्त सीखने और सहायक उपकरण शामिल हैं (देखें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सभी बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 का सेक्शन 3, [यहाँ](#) विलक करें और UP rule [यहाँ](#)।
- अगर बच्चा उस स्थान से जा रहा है तो **स्थानान्तरण प्रमाण पत्र** एवं बिना विलम्ब के पुनर्प्रवेश का अधिकार। (अधिनियम का सेक्शन 4)
- कोई स्कूल कैपिटेशन फीस चार्ज ना करेगा या बच्चों के माता पिता से किसी भी प्रकार की विषय जांच जैसे प्रवेश परीक्षा ना मांगेगे।
- अगर बच्चा उस स्थान से जा रहा है तो **स्थानान्तरण प्रमाण पत्र** एवं बिना विलम्ब के पुनर्प्रवेश का अधिकार। (अधिनियम का सेक्शन 4)
- हर प्राइवेट स्कूल “वंचित समूहों” (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के बच्चों के लिये कक्षा 1 में अपनी सीटों में से 25% रिजर्व करना होगा, लागत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। (सेक्शन 12 (1) (b))
- सभी स्कूलों में अप्रैल 2013 से न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना हीगा (मज़बूत इमारत, प्रत्येक शिक्षा के लिये अलग कक्षकाओं, खेल का मैदान, पुस्तकालय, अलग लड़कों और लड़कियों के लिये शौचालय, पीने का पानी, उपयोग रैंप, शिक्षण-अधिगम उपकरण, हर स्कूल में खेल के सामग्री और उपकरणों होना)। (अधिनियम की अनुसूची देखें)
- कोई भी बच्चा कक्षाओं को दोहराने नहीं देंगे और निष्कासित नहीं कर दियेंगे या काक्षा 8वीं के पूरा होने तक एक बोर्ड परीक्षा पास करने के आवश्यक।
- कक्षा में शिक्षक-छात्र अनुपात प्राथमिक में 1:30 (काक्षा 1-5) और उच्च प्राथमिक में 1:35 (काक्षा 6-8) से अधिक नहीं होना चाहिए।
- सभी शिक्षकों को नियमित रूप से और ठीक समय स्कूल में भाग लेने चाहिए। कोई भी शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने के लिये चार्ज नहीं लेंगे।

कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालय वंचित समूहों की लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर तक भोजन की सुविधा के साथ आवसीय विद्यालय।

(वेबसाइट देखें [यहाँ](#))

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 80 प्रतिशत | समय सीमा 1 सप्ताह)

- 31 अगस्त तक निकट के किसी विद्यालय में बच्चे को लेकर प्रवेश के लिए जाएं।
- आपके पास केवल बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए या अगर जन्म प्रमाण नहीं है तो निम्नलिखित विवरण वाला शपथ-पत्र बनवाएँ: बच्चे का नाम, पिता का नाम, पता, जन्म तिथि और उस वर्ष का उल्लेख जिसमें प्रवेश चाहते हैं। अगर प्रवेश का ग्रेड परीक्षा पर निर्भर करता है (नीचे देखें) तो वह विवरण खाली छोड़ दें और उसे बाद में भर दें। RTE का मतलब किसी भी बच्चे को किसी भी कारण (जन्म प्रमाण या दूसरे कागजात न हो) से स्कूल दाखिला मना नहीं हो सकता।
- अगर बच्चा 7 वर्ष से अधिक का है तो उसे उसकी आयु के हिसाब से उपयुक्त ग्रेड में रखना चाहिए और उसे अन्य बच्चों की स्तर तक लाने के लिये विशेष कक्षा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। (देखें अधिनियम का सेक्शन 4)

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- क) आरभ में विद्यालय के प्रधानाचार्य से सम्पर्क करें; फिर
- ख) उच्च शिक्षा निदेशालय (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) विलक करें) को आर. टी. आई दें।

ग) आरटीआई मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

श्री ए.के.तिवारी, उत्तर प्रदेश के लिए) जन सूचना अधिकारी फोन 011.23384582 ईमेल: ssaee17@gmail.com

घ) शिक्षा का अधिकार टास्क फोर्स एडवोकेट (वकील) अशोक अग्रवाल 9811101923

2 शिक्षा - छात्रवृत्ति और लाभ

स्कूल में गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई छात्रवृत्ति और लाभ शुरू कर दी है।



1 सम्बन्धित विभाग

उत्तराखण्ड सरकार:

- शिक्षा विभाग (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) क्लिक करें)
- सर्व शिक्षा अभियान (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) क्लिक करें)

2 अधिकार (Best source: <http://schooleducation.uk.gov.in/pages/display/55-about-us>)

- मध्यान्तर भोजन प्राधिकरण (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) क्लिक करें)।
- SSA के तहत सर्व शिक्षा अभियान के सभी लड़कियों / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बच्चों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर निः शुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं।
- राजीव गांधी नवोदय विद्यालय: उत्तराखण्ड सरकार ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और आवासीय विद्यालय के माध्यम से ग्रामीन गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिये फी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शुरू किया। सात राजीव गांधी नवोदय विद्यालय - देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहारी में शुरू कर दिया है। (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) क्लिक करें)
- अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग के लिये प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (वेबसाइट के लिये [यहाँ](#) क्लिक करें)

3 प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया (सफलता की संभावना 80% समय सीमा 1 सप्ताह)

- Pre and Post Matric Scholarship schemes for SC, OBC and students with disabilities (click [here](#))

4 दबाव - (यदि आवेदन सफल नहीं है)

- क) शुरू में स्कूल के प्रधानाचार्य दृष्टिकोण तब
- ख) उत्तराखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद को आरटीआई दें, पीआईओ के लिये [यहाँ](#) देखें।
- ग) सामाजिक न्याय मंत्रालय आरटीआई दें

संदीप कुमार गुसा, पीआईओ उप सचिव, फोन - **011.23389474**

अनुसूचित जाति और अन्य व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रभारी

ई. वी. थॉमस, पीआईओ फोन - 011-23753406

अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिये प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रभार

- घ) शिक्षा का अधिकार टास्क फोर्स एडवोकेट (वकील) अशोक अग्रवाल 9811101923

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें।

3 शिक्षा – राष्ट्रीय मुक्त विधालयी शिक्षा संस्थान

कई लोग पढ़ाई करने चाहते हैं लेकिन कई कारणों से औपचारिक स्कूल नहीं जा सकते हैं : शायद उन्होंने कम उम्र में छोड़ दिया लेकिन अब वे एक युवा वयस्क के रूप में फिर से अध्ययन करना चाहते हैं। हो सकता है वो नौकरी कर रहे हों या एक परिवार की देखाबाल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे लाखों लोगों को उनके घर से अध्ययन करने की अनुमति देकर इंडियन ओपन स्कूल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इस लिए यह वर्तमान में डेढ़ लाख छात्रों का नामांकन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में है, जो इसे दुनिया में सबसे बड़ी खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली बनाता है।



1 सम्बन्धित विभाग

केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय मुक्त विधालयी शिक्षा संस्थान (<http://www.nos.org/>)

2 अधिकार (Best Source: NIOS <http://nos.org/about-us/profile.aspx>)

- ओपन बेसिक शिक्षा (ओबीई) : मुफ्त : ओपचारिक स्कूल प्रणाली की कक्षाओं तीसरी, पाँचवीं और आठवीं के सामान कार्यक्रम
- माध्यमिक शिक्षा कोर्स (कक्षा 10)
- वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा कोर्स (कक्षा 12)

3 प्रवेश के लिए आवेदन (सफलता की संभावना 90% समय सीमा 4 सप्ताह) प्रक्रिया

कक्षा 3, 5, 7 या 8 के लिए:

- वेबसाइट [यहाँ](#) से आप निकटम केन्द्र का पता लगाएं
- केन्द्र पर जाएं और आवेदन प्रक्रिया के लिए

माध्यमिक (कक्षा 10) के लिए और वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 12) सभी आवेदन अब ऑन लाइन पर भर रहे हैं :

- [यहाँ](#) वेबसाइट पर जाएं और ऑन लाइन खुद ही आवेदन को पूरा भरें।
- स्थानीय मान्यता प्राप्त संस्थान जो ऑन लाइन आवेदन करने में आप की मदद करेंगे। AI सूची के लिये [यहाँ](#) विलक करें
- क्षेत्रीय केंद्रों की सूची के लिये [यहाँ](#) विलक करें जो ऑन लाइन आवेदन करने में आप की मदद करेंगे क्षेत्रीय केंद्रों पर जाएं

शुल्क :-

कक्षा	ओरत	पुरुष	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग
माध्यमिक (कक्षा 10)	750	1,000	550
वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 12)	900	1,150	625


4 दबाव (यदि आवेदन सफल नहीं होता है)

- द्व्य तीसरे, पाँचवें और सातवें आवेदन के लिए प्रवेश मार्ग केंद्र हैं जहाँ आपने आवेदन जमा किया।
- b) 10वें और 12वें के अपने आवेदन की स्थिति की जाँच के लिये [यहाँ](#) विलक करें
- बद्ध फोन करें टोल फ्री नंबर 1800 1809393 पर
- d) शिकायत क्षेत्रीय केंद्र को करें। क्षेत्रीय केंद्रों की सूची के लिये [यहाँ](#) विलक करें।
- e) शिकायत करें दिल्ली में एनआईओएस प्रधान कार्यालय में। समर्पक करने का विवरण [यहाँ](#) विलक करें आरटीआई प्रधान कार्यालय में।

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें।

च. उपयोगिताएँ



1 उपयोगिताएँ - (बिजली)

कई राज्यों में बिजली कर सप्लाई सेमी-प्राइवेट योजनाओं से प्रयास कर रही हैं की हर गाँव को बिजली मिले। कई राज्यों में बिजली कर सप्लाई सेमी-प्राइवेट योजनाओं से प्रयास कर रही हैं की हर गाँव को बिजली मिले।

1 सम्बंधित विभाग

भारत के अधिकांश राज्यों में बिजली वितरण का अर्ध-निजिकरण हो गया है।

केन्द्र सरकार:

- छर्जा मंत्रालय (वेबसाइट के लिए विलक करें [यहाँ](#))
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (वेबसाइट के लिए विलक करें [यहाँ](#))
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना (RGGVY) (वेबसाइट के लिए विलक करें [यहाँ](#))

उत्तराखण्ड सरकार:

- उत्तराखण्ड पावर कारपोरेट लिमिटेड (वेबसाइट लिए विलक करें [यहाँ](#))

2 अधिकार (Best Source: Rajiv Gandhi Grameen Vidyut Yojana <http://powermin.nic.in/bharatnirman/bharatnirman.asp>)

केन्द्र सरकार

- भारत निर्माण (पृष्ठ 4-6 दखें वेबसाइट [यहाँ](#)) और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना (दखें वेबसाइट [यहाँ](#) यहाँ और [यहाँ](#)) के अन्तर्गत 2012 तक प्रत्येक गाँव को बिजली से जोड़ दिया जाय।
- 234 लाख के बी पी एल घरों के लिए मुफ्त बिजली (दखें वेबसाइट [यहाँ](#))
- एक गाँव तभी विद्युतीकृत कहा जा सकता है अगर उसके आबादी वाले इलाके में बिजली हो और जहाँ गरीब या दीन समुदाय के लोग रहते हों। बिजली अहम् जगहों में दी जाये जैसे: स्कूल, पंचायत दफ्तर, स्वस्थ्य केंद्र, दवाखाने य सामाजिक केंद्र।
- गाँव में कम से कम १० प्रतिशत घरों में बिजली हो।

3 आवेदन का तरीका

क) गाँव जिस में कोई बिजली नहीं है, वहाँ बिजली मिलने के लिए(सफलता की आशा 10 प्रतिशत। समय सीमा 12 माह)

- जाँच करें कि क्या आपके गाँव विद्युतीकृत है या नहीं (वेबसाइट [यहाँ](#) और [यहाँ](#))
- यदि नहीं, तो उपर्युक्त क्षेत्रों में अपने क्षेत्र की जाँच करें (वेबसाइट [यहाँ](#)) (विलक करें कार्यान्वयन कार्यालय पर और डिस्कोम पर)
- आवेदन डिस्कोम को लिखें नए निः शुल्क कनेक्शन अपने क्षेत्र के लिए। (वेबसाइट [यहाँ](#))
- For electricity tariff click [here](#). For area map click [here](#)

ख) गाँव जिस में बिजली है वहाँ बिजली के नए कनेक्शन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है

- आवेदन पत्र को अपने क्षेत्र में जमा करें।
- मकान मालिक/किराएदार होने का प्रमाण पत्र,।
- सादे कागज पर घोषणा (स्टांप पेपर की आवश्यकता नहीं है) बी एण्ड एल फार्म, :।
- पहचान दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइवींग लाइसेंस, राशन कार्ड, या कोई भी चित्र पहचान।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- आर.टी.आई भेजें सब-डिवीजन में (वेबसाइट [यहाँ](#))

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें।

2 उपयोगिताएँ – (गैस)

खाना बनाने की गैस सस्ती और कम मात्रा में जलती है केरोसीन लकड़ी और गोबर की तुलना में, घर के लिए बहुत लाभदायक है। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर नए कनेक्शन देने में परेशानी करते हैं, पर हर घर का यह अधिकार है।



1 सम्बन्धित विभाग

खाना बनाने का गैस अब अर्ध–सरकारी है। अधिकांश कनेक्शन इनके द्वारा हैं:

- इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इण्डेन) (वेबसाइट [यहाँ](#) है)
- भारत गैस (वेबसाइट [यहाँ](#) है)
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (वेबसाइट [यहाँ](#) है)

2 अधिकार (Best Source: Indian Oil Corporation <http://www.iocl.com/Products/Indanegas.aspx>)

क) गैस

- हर एक घर जिस में खाना पकाने की जगह है, वह एक गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है।
- एक घर पर सिर्फ एक ही रसोई गैस कनेक्शन हो सकता है।
- प्रत्येक 6 महीना अवधि में 6 गैस रीफिल (अप्रैल से सितम्बर, अक्टूबर से मार्च तक रु 431 की रियायती दर पर)

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 70 प्रतिशत | समय सीमा 1 माह)

कनेक्शन हेतु (आवेदन की प्रक्रिया हेतु [यहाँ](#) लिंक करें)

- i) क इण्डेन वेबसाइट [यहाँ](#) लिंक करें। 'How Do I?' पर लिंक करें, फिर 'Get a New Connection'। फिर 'Uttarkhand' सिलेक्ट करें और फिर अपना शहर। कई डिस्ट्रीब्यूटर दिखेंगे, किसी एक चुन कर उन्हें फॉर्म भेजे। छूसरा गैस प्रोवाइडर जैसे भारत गैस के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढ़ कर आवेदन करो, पहचान व पता का प्रूफ के साथ।

मेरा स्थानीय इण्डेन गैस सप्लायर है.....(पृ. 3 के टेबल पर इसे डालें)

ख. पहचान और निवास का वैध प्रमाण जमा करें। (पहचान पत्र, राशन कार्ड या बिजली बिल)

ग. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र प्राप्त करें (पता जांच लें)। उसे लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं।

घ. लागत:-

1. स्टोव रु0. 1850 /, (अपना स्टोव यदि आईएसआई मार्क है और मूल रसीद है व इण्डेन स्टाफ द्वारा रुपए 250 शुल्क देकर चेक कर लिया गया है तो प्रयोग करसकते हैं)
 2. जमानत राशि रु0. 1250 /
 3. गैस रु0. 431 /
 4. पाइप रु0. 250 /
 5. रेगुलेटर रु0. 150 /
 6. इंस्टालेशन रु0. 45 /
 7. पासबुक रु0. 45 /
- कुल रुपए 2,420 (बिना स्टोव)(रसीद ले लें)

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- डिस्ट्रीब्यूटर से शिकायत करें, फिर
- ऑन लाइन शिकायत [यहाँ](#) करें, फिर
- इण्डेन सिनियर मैनेजमेंट; (mgrover@indianoil.in (वेबसाइट हेतु लिंक करें
<http://www.iocl.com/contacts.aspx>)

5 सफलता की कहानी

गुड्न एक बाल के उसको कनेक्शन देने की कोशिश लेने कोशिश में लगा हुआ था। गैस कार्यालय के कर्मचारी हर बार किसी भी बहाना बोल के उसको कनेक्शन देने से मना कर देते थे। फिर गुड्न ने अधिकार सहित बैठक में भाग लेने के बाद सीखा की कैसे गैस कनेक्शन लेना उसका अधिकार है यह भी सीखा की किस तरह से अपने आवेदन पत्र को आगे बढ़ाना है सूचना के अधिकार (RTI) द्वारा। इस सीख के साथ वह दुबारा गैस कनेक्शन के ऑफिस गयी। उन्होंने फिर उसे मना कर दिया पर इस बार गुड्न ने धमकाया की वह बड़े अफसर जो लखनऊ में है से शिकायत करेगी। बस इतना बोलना काफी था: कर्मचारी उसकी हिम्मत देखकर सपिकका गए और वे तुरंत काम पे लग गए। गुड्न को अपना कनेक्शन एक हपते के अन्दर ही मिल गया।

छ. सफाई

1 सफाई - (शौचालय)

भारत सरकार देखना चाहती है की हर घर में एक शौचालय हो। परन्तु गाँव वाले पीढ़ियों से चली आ रही आदत घर के बाहर जाके शौच करने को बदलने में संकोच करते हैं। उनके हिसाब से वो उनका दुसरे लोगों से मिल पाते हैं।



1 संबंधित विभाग

केन्द्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय—पीने का पानी और सफाई विभाग (पूरी सफाई) (वेबसाइट हेतु क्लिक करें [यहाँ](#))
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु) (वेबसाइट हेतु [यहाँ](#) क्लिक करें)

स्थानीय

- नगर पालिका से संबंधित ज़िले (उदाहरण जैसे नगर पालिका [यहाँ](#))

2 अधिकार (*Best Source: (Best Source: Nirmal Bharat Abhiyan): http://tsc.gov.in/NBA/AboutNBA.aspx*)

क) शौचालय (पूरी सफाई आंदोलन के अन्तर्गत) पूरी सफाई के दिशा निर्देश हेतु [यहाँ](#) और [यहाँ](#) क्लिक करें।

- 2017 तक सभी के पास शौचालय, [यहाँ](#) क्लिक कर
- बीपीएल परिवार ए पी एल परिवारों जिनमे केवल अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति के परिवार छोटे और सीमांत किसानों भूमिहीन मजदूर शारीरिक रूप से विकलांग और महिलाओं द्वारा चलाये जाने वाले परिवारों को शौचालयों के साथ घर का निर्माण करने पे नकद प्रोत्साहन प्राप्त होता है

प्रत्येक शौचालय के लिए सहायता & प्रोत्साहन	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	घरेलू समुदाय हिस्सा
व्यक्तिगत परिवार	3200	1400	900
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	60%	30%	10%
ग्रामीण स्कूल	35000 ;70%	15000 ;30%	0
आगनवाड़ी	5600 ;70%	2400 ;30%	0

- पंचायत के ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई कमेटी को सरकार से ₹ 10,000 मिलते हैं।
- अधिक जानकारी के लिए [यहाँ](#) और [यहाँ](#) देखें

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 40 प्रतिशत | समय सीमा 6 माह)

- अपने गांव की स्वच्छता स्थिति की जाँच के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें।
- पूरी सफाई आंदोलन के अन्तर्गत ज़िला अफसर द्वारा गांव चुना जाता है। यह चुनाव गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवार की गणना करके ही पता चलता है। फिर गांव को शौचालय सुविधा उपलब्ध जाती है।
- अगर आपके गांव में शौचालय की सुविधा उपलब्ध ना हो तो पंचायत के ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई कमेटी में सीधे आवेदन करें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- पंचायत के ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई कमेटी में सीधे सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दें।
- आर.टी.आई दें श्रीमती प्रतिमा गुप्ता
निदेशक :निर्मल भारत अभियान)
12 वीं मंजिला पर्यावरण भवन ए सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली . 110003
दूरभाष: **011. 24364427**, ईमेल: pratima.g@nic.in

5 सफलता की कहानी

2009 में खेरो गांव के श्री नरेन्द्र दुबे को पूरी सफाई आंदोलन के अन्तर्गत शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गयी।

2 सफाई - (नाली करंजा)

बरसात में गंवई इलाके में, गंदे व फिसलने वाले सड़के व पगड़ियों पर चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पटरी व नाले ज़रूरी हैं। पटरी व नाले ग्रामीण स्वास्थ्य व स्वच्छता आयोग की जिम्मेदारी हैं।



1 सम्बंधित विभाग

स्थानीय सरकार:

- पंचायत की ग्रामीण स्वास्थ्य व स्वच्छता आयोग
- शहर के क्षेत्रों में नगर निगम गलियों का फर्श, नालियों और सफाई के लिये जिम्मेदार हैं।

2 अधिकार (Best source: Public health Engineering Dept)

- Village Health and Sanitation Committees get Rs10,000 untied funds annually which can be used to build paved alleys & drains.

3 आवेदन का तरीका (Chance of success 70%. Time frame 1 month)

- सीधे पंचायत को

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) पंचायत से शिकायत करें फ़िर

ख) पंचायती राज विभाग जन सूचना अधिकारी


ग) या जिला पंचायती राज विभाग के संपर्क http://panchayatiraj.up.nic.in/contact_us_dist.aspx

या ऑनलाइन शिकायत करे <http://panchayatiraj.up.nic.in/complaint.aspx>

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें!

ज. आवास



रही

1 आवास- (इंदिरा आवास योजना)

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवार हैं उनको घर प्रदान करना। यह योजना कार्य कर है, घर भी बन रहे हैं, पर दुसरी योजनाओं की तरह यह योजना भी भ्रष्टाचार की शिकार है जैसे बी.पी.एल सूची है। कई बार घर लेने की सूची में अमीर और प्रभावशाली लोग रहते हैं नाकि लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले जो गरीब और कमज़ोर हैं।

1 सम्बन्धित विभाग

केंद्र सरकार:

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) लिंक करें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- ग्रमीण विकास विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) लिंक करें)

2 अधिकार

(Best Source: Indira Awas Yojana <http://iay.nic.in/netiay/home.aspx>)

भारत निर्माण के अन्तर्गत ध्येय है कि वर्ष 2014 तक 1.2 करोड़ घर गरीबों को प्रदान किया जाए। (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) लिंक करें)

क. इंदिरा आवास योजना

क) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास निम्न प्राथमिकता में बी पी एल परिवारों के लिए उपलब्ध है: (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) लिंक करें)

- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जो अत्याचार का शिकार हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जो खास करके विधवा/अविवाहित महिला आवास हैं।
- Physically and mentally challenged persons

सहायता की सीमा (देखें इंदिरा आवास योजना की वेबसाइट [यहाँ औत यहाँ](#))

- रु. 45,000 (या रु. 48,500 पहाड़ी क्षेत्र में) नया मकान बनाने के लिए, साथ ही अतिरिक्त कर्ज रु.20,000 ब्याज दर 4 प्रतिशत की दर पर।
- रु. 15,000 कच्चा मकान को पक्का बनाने के लिए।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 30 प्रतिशत | समय सीमा 2 वर्ष)

आवाश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर के कार्यकर्ता या विकास अधिकारी या जिला पंचायत अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए। इनके अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी:

क. आवेदन फॉर्म

ख. भूमि के मालिक का फार्म-1 और 15/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग. ग्राम सभा का प्रस्ताव।

घ. राशन कार्ड की कॉपी

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- ग्राम पंचायत से सीधे सम्पर्क करें, फिर
- आर.टी.आइ दे ग्रामीण विकास विभाग सम्पर्क [यहाँ](#) देखें।
- ऑनलाइन शिकायत पंजीकृत [यहाँ](#) करें।
- आर.टी.आइ दे ग्रामीण विकास मंत्रालय सम्पर्क सूची [यहाँ](#) देखें।

5 सफलता की कहानी

अक्टूबर 2010, में 50 वर्षीय बिनया नामक गरीब किसान का घर 6 महिने में मुख्य मंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाके दिया गया।

2 आवास – (भूमिहीनों के लिए भूमि)

पीड़ियाँ से कई परिवार जातिवाद के नाम पर भेदभाव, कर्ज, घोखे और अधिकार के सहारे से अपनी जमीन खोते आ रहे हैं। जिसकी वजह से उनकी पुरी जिंदगी किराए के घरों में और दुसरों के खेतों में काम करते हुए निकल जाती है। महत्वकांक्षी इलाका साइट योजना जो इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आती है वह असहाय लोगों को थोड़ी जमीन चाहे वह सिर्फ घर बनाने की जगह ही हो देने का प्रयास करती है। परन्तु दुसरी योजनाओं की तरह वह योजना भी BPL सूची की तरह अधिकार से पीड़ित है।



1 सम्बन्धित विभाग

केंद्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट [यहाँ](#) विलक करें)।
- इंदिरा आवास योजना (वेबसाइट [यहाँ](#) विलक करें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- ग्रामीण विकास विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) विलक करें)

2 अधिकार (*Best Source: See website http://iay.nic.in/netiay/more_home.htm*)

- ग्रामीण परिवार जिनके पास न तो कृषि भूमि है और न ही मकान के लिए स्थान है।
- लाभ उठाने वालों का चयन स्थायी इंदिरा आवास योजना के वेबसाइट से सूची में से प्रधानता के आधार पर होगा।
- यदि वह भूमि वर्तमान में किसी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के अधिकार में है और अगर घोषणा करना वर्तमान कानून और नियम के अनुसार संभव हो सके, राज्य सरकार भूमि को मकान के उपयोग हेतु स्थान के रूप में घोषित करेगी। अगर ये मामला नहीं है तो राज्य सरकार योग्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मकान के लिए स्थान सरकारी भूमि, में से प्रदान करेगी। सरकारी भूमि में सामुदायिक भूमि (गोचर आदि), पंचायत की भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरण की भूमि सम्मिलित है। अगर संतोषप्रद सरकारी भूमि देने के लिए उपलब्ध नहीं है तो इस उद्देश्य के लिए निजी भूमि खरीदी जाएगी या अधिकृत की जाएगी।
- मकान के लिए लगभग 100–250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने/अधिग्रहित करने के लिए आर्थिक सहायता रु. 10,000 प्रति लाभार्थी या कुल जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। यह आवश्यक है कि भूमि या तो महिला के नाम पर हो या पति और पत्नी के नाम पर मालिकाना हक हो।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 40 प्रतिशत | समय सीमा 6 माह)

- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत पंचायत को।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- ग्राम पंचायत से सीधे सम्पर्क करें; फिर
- आर.टी.आइ दे ग्रामीण विकास विभाग सम्पर्क [यहाँ](#) देखें।
- ऑनलाइन शिकायत पंजीकृत [यहाँ](#) करें
- आर.टी.आइ दे ग्रामीण विकास मंत्रालय सम्पर्क सूची [यहाँ](#) देखें।


5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें!

झ. कृषि

1 कृषि (सिंचाई)

भारत की आबादी बढ़ी संख्या में गांव में रहती है और वह ज्यादातर खेती करते हैं। और खेती के लिए पानी सबसे ज्यादा ज़रूरी जलवायु परिवर्तन के कारण बारीश के मौसम का अंदेशा थोड़ा कम हो गया है जिसे खेती कठिन हो गई। निम्नलिखित योजनाओं का उद्देश्य है की किसानों को सिंचाई करने में असानी हो मौसम के बारे में चित्तित ना हो।



1 सम्बन्धित विभाग

केंद्र सरकार

- जल संसाधन मंत्रालय (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें)
- केंद्रीय जल आयोग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें)
- कृषि मंत्रालय
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ; क्लिक करें <http://n fsm.gov.in>)
 - लघु सिंचाई राष्ट्रीय मिशन ,क्लिक करें <http://www.ncpahindia.com>)

2 अधिकार (Best Source: Ministry of Water Resources <http://mowr.gov.in/bharatnirman/index.htm>)

लघु सिंचाई राष्ट्रीय मिशन ,क्लिक करें <http://www.ncpahindia.com/nmmi/G uidelines-NMMI.pdf>)

- छोटे और सीमांत किसानों के लिए सब्सिडी सहायता. सिंचाई ड्रिप & छिड़काव प्रणाली की लागत के 60:सरकार द्वारा और शेष 40: किसान द्वारा किया जाएगा होगा। सामान्य वर्ग के किसानों के मामले में सब्सिडी सहायता लागत के 50: होगा शेष लाभार्थी द्वारा किया जाएगा
- लाभार्थियों के चयन में पंचायत शामिल डीआरडीए ,जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों होंगे

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ,क्लिक करें <http://n fsm.gov.in/G uidelines/ContentE.pdf>)

- पम्प सेट के लिए मदद : प्रति मशीन रुपये 10,000/- सीमित या लागत का 50: तक जो भी कम हो ही
- पानी फूवारा सेट वितरण : प्रति मशीन रुपये 7,500/- सीमित या लागत का 50: तक जो भी कम हो ही राज्य कृषि विभाग के रूप में एनएफएसएम की कार्यकारी समिति के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 70 प्रतिशत | समय सीमा 6 माह)

इन योजनाओं का लाभ उठाने हेतु कोई भी समर्पक कर सकता है:

- पानी पंचायत; या ग्राम पंचायत कार्यालय; या
- जिला कलक्टर कार्यालय; या
- केंद्रीय जल आयोग।
- ओन लाइन आवेदन पत्र भरने के लिए [यहाँ](#) देखें या पृष्ठ 54
- अपने आवेदन की प्रगति देखने के लिए अपना ज़िला [यहाँ](#) देखें फिर अपना एरिया और पंजीकरण नम्बर लिखें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- कार्यालय में शिकायत करें जहां आपने पानी पंचायत; या ग्राम पंचायत कार्यालय; या जिला कलक्टर कार्यालय; या केंद्रीय जल आयोग में आवेदन किया हो।
- केंद्रीय जल आयोग में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दें, सचिव, केंद्रीय जल आयोग, कमरा नम्बर-313 (एस), सेवा भवन, आर.के.पूरम, नई दिल्ली-110066 फोन-26187232
- **NFSM** सेल के लिए 011-23389831
डा. एम.एन. सिंह, संयुक्त निदेशक (NFSM) ईमेल: mnsingh1959@rediffmail.com
श्री CY Barapatre, सहायक Commissioner (NFSM) ईमेल: c yb_20007@yahoo.co.in
- **NMMI** लिए
NCPAH, 10 वीं मंजिल, इंटरनेशनल ट्रेड टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019, दूरभाष. : 011 - 46511275

2 कृषि - (कृषि बीमा)

जलवायु परिवर्तन का एक और पक्ष बढ़ती हुए प्राकृतिक आपदा जैसे बवण्डर, बाढ़, सूखा जिसे खेती खतरनाक हो जाती है। निम्नलिखित कृषि बीमाओं का उद्देश्य की किसान अपनी खेती बीमा रहित और सुकुन मन से कर सके।



1 सम्बन्धित विभाग

केन्द्र सरकार

- भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा लागू किया गया।
- 500 जिले और 20 मिलियन किसान इसके अन्तर्गत आ चुके हैं।

2 अधिकार (*Best source: National Agricultural Insurance Scheme*

<http://agricoop.nic.in/dacdivision/credit.htm>)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (विवरण देखें [यहाँ](#))

- किसानों को प्राकृतिक आपदा, पेस्ट्स, बीमारी के परिणामास्वरूप नोटीफायड फसल की विफलता के कारण बीमा योजना का लाभ और आर्थिक सहायता का प्रावधान।
- कर्जधारक किसान के लिए अनिवार्य, कर्ज न लेने वाले किसानों के लिए विकल्प के रूप में।
- सभी प्रकार की फसल इसके अन्तर्गत हैं (ज्वार, बाजरा, दाल), तैलीय बीज और वार्षिक आर्थिक/बागबानी फसल (गन्ना, आलू, मिर्च, अदरक, प्याज और हल्दी)।
- बाजरा और तैलीय बीज के लिए प्रीमियम दर हैं 3.5 प्रतिशत एवं अन्य खरीफ़ फसल हेतु 2.5 प्रतिशत, गेहूं के लिए 1.5 प्रतिशत और अन्य रबी फसल हेतु 2 प्रतिशत।
- छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को उनमें से 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। 5 वर्ष की अवधि के बाद ये छूट चरणों में समाप्त हो जाती है।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 0 प्रतिशत | समय सीमा 18 माह)

- प्रत्येक फसल के मौसम के आरंभ में राज्य सरकार फसल को नोटीफाय करती है और उस क्षेत्र के बारे में बताती है जिसे उसे मौसम के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लाया जाता है।
- गैर-कर्जदार किसान जो इस योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं वे एन.ए.आइ.एस का फार्म भरें और प्रीमियम के साथ फार्म को कमर्शियल बैंक के ग्रामीण शाखा या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या कोऑप्रेटिव बैंक में जमा कर सकते हैं।
- यह [ब्रांच/पी.ए.सी.एस](#) की जिम्मेदारी है कि वह बीमाकृत राशि के बारे में और अधिकतम सीमा के बारे में जांच करे जबकि वह प्रस्ताव मंजूर कर रहा हो।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- कमर्शियल बैंक की ग्रामीण शाखा या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या कोऑप्रेटिव बैंक के पी.ए.सी.एस में सीधे शिकायत करें जहां कि आपने आवेदन किया है; फिर
- भारतीय कृषि बीमा कंपनी को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दें।
- आरटीआई विभाग कृषि और सहयोग पीआईओ के लिए संपर्क [यहाँ](#) क्लिक करें

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें!

3 कृषि – (आर्थिक सहायता)

अरब से उपर की आबादी वाले देश में किसानों की बहुत ज्यादा ज़रूरत है ताकि भौजन की स्थिर खाने की सप्लाई हो सके। सार्वभौमिकता होने के कारण मूल खेती के बीज और उपकरण की कीमतें बढ़ गई हैं। निम्नलिखित योजनाओं का उद्देश्य है की किसानों को कम दरों पे खेती के लिए मूल समान मिल सके जिसे खेती लाभदायक और प्रोत्साहित रहें।



1 सम्बन्धित विभाग

केंद्र सरकार:

- कृषि मंत्रालय
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (<http://n fsm.gov.in/> क्लिक करें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- कृषि विभाग (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें)
- उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें)

2 अधिकार (Best Source: <http://n fsm.gov.in/N fsmMIS/StateProfile/Introduction.aspx> and <http://agricoop.nic.in/stateagri.htm>)

क) सबसिडी

- बीज : 50 प्रतिशत
- औजार : 50 प्रतिशत। हैन्डपम्प 75 प्रतिशत से लेकर 15,000रु। डिज़िल/बिजली पम्प 50 प्रतिशत से लेकर 10,000रु
- घ) सरकार बीज किसानों से खरीदती है।
 - सोयाबीन, मक्का, दाल 1000रु प्रति किवंटल
 - पैडी 500रु प्रति किवंटल के हिसाब से खरीदती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ([क्लिक करें](http://n fsm.gov.in/Guidelines/ContentE.pdf) <http://n fsm.gov.in/Guidelines/ContentE.pdf>)

- बीज मिनी किट की पूरी लागत सब्सिडी के रूप में : गेहूं के लिए 10 किलो प्रति 50 हेक्टेयर, 5 किलो प्रति 50 हेक्टेयर चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए और 6 किलो प्रति 50 हेक्टेयर चावल की हाइब्रिड केलिए
- NFSM गेहूं, NFSM चावल और NFSM तेल के बीज योजनाओं के तहत ऊ प्र के चुने हुए जिले लाभार्थी हैं अपने पंचायत से पता करें या यहाँ क्लिक करें <http://n fsm.gov.in/Guidelines/ContentE.pdf>

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 40 प्रतिशत। समय सीमा 6 माह)

- UPAGRO को आवेदन दें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- आर.टी.आइ दें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग [यहाँ](#) देखें।
- **NFSM सेल** के लिए 011-23389831:
डा. एम.एन. सिंह, संयुक्त निदेशक (NFSM) ईमेल: mnsingh1959@rediffmail.com
श्री CY Barapatre, सहायक Commssioner (NFSM) ईमेल: c y Barapatre@yahoo.co.in

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें!

ज. सड़के

भारत के कई गांव ऐसे हैं जहाँ पक्की सड़क नहीं बनी है। जिससे कई समस्याएँ होती हैं, विशेषकर बारीश के मौसम में माल को लाने और ले जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में या मरीजों को अस्पताल जाने में। भारत सरकार ने यह निर्देश दिये हैं कि 2012 तक हर गांव जिसकी आबादी 1000 या उससे ऊपर है उनको पक्की सड़क बना के दी जाएगी।



1 सम्बन्धित विभाग

केन्द्र सरकार

- भारत निर्माण (वेबसाइट [यहाँ](#) विलक करें)
- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (वेबसाइट [यहाँ](#) विलक करें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- लोक निर्माण विभाग (वेबसाइट [यहाँ](#) विलक करें)

2 अधिकार (Best Source: Bharat Nirman <http://bharatnirman.gov.in/road.html>)

क. भारत निर्माण के अन्तर्गत उद्देश्य है कि 1000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव (पहाड़ी क्षेत्र में 500) में वर्ष 2010 तक हर एक मौसम में उपयोगी सड़क द्वारा पहुंचा जा सके। (वेबसाइट देखें [यहाँ](#) और [यहाँ](#) पृ. 7)। विशेष सड़क योजनाएं हैं:

ख. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (वेबसाइट [यहाँ](#) विलक करें)

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 60 प्रतिशत | समय सीमा 12 माह)

क. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को सीधे आवेदन दें [यहाँ](#); या

ख. जिला पंचायत / डीआरडीए को सीधे आवेदन दें

ग. उत्तराखण्ड के लोक निर्माण विभाग (वेबसाइट [यहाँ](#) विलक करें)

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क. आर.टी.आइ दे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ([यहाँ](#) विलक करें) फिर सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदन)

ख. आर.टी.आइ दे लोक निर्माण विभाग (वेबसाइट [यहाँ](#) विलक करें)

5 सफलता की कहानी

बरचखेड़ा गांव में सड़क न होने के कारण गांव में कई डकैती होती थी। 2010 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3 किलोमीटर लम्बी पक्की सड़क बनाई गयी जो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है।

ट. मानवाधिकार

1 मानवाधिकार . घरेलू हिंसा

भारत में महिला की स्थिति अभी भी सुधारी नहीं है। आज भी घर पर महिला को हर रोज अपने पति द्वारा बुरा व्यवहार एवं मार सहना पड़ता है। यह व्यवहार समाज और सरकार की दृष्टि में अस्वीकार्य है। यह नए घरेलू हिंसा अधिनियम में दर्शाया गया है।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार:

- राष्ट्रीय महिला आयोग (वेबसाइट [यहाँ](#) देखें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- उत्तराखण्ड सरकार महिला आयोग (वेबसाइट के लिय [यहाँ](#) विलक करें)
- उत्तराखण्ड पुलिस (वेबसाइट के लिय [यहाँ](#) विलक करें)

2 अधिकार (Best Source: Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 [here](#))

घरेलू हिंसा से महिलाओं को मुक्ति अधिनियम में सम्मिलित है: (देखें घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 [यहाँ](#))

- मुख्य अत्याचार या अत्याचार करने की धमकी।
- अत्याचार शारीरिक, व्यभिचारात्मक, जबानी, भावनात्मक या आर्थिक हो सकता है।
- परेशान करना, महिला से या उसके सम्बंधियों से गैरकानूनी दहेज की मांग करना भी इसमें शामिल हो सकता है।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 40 प्रतिशत | समय सीमा 6 माह)

- ग्राम पंचायत से बातचीत करें और देखें कि वे समस्या का हल स्थानीय तौर पर कर सकते हैं या नहीं; यां
मेरा स्थानीय पुलिस थाना है.....(पृ.3 पर विस्तार हेतु इंटर करें) या
- पीड़ित महिला, स्थानीय थाने में एफआइआर दर्ज कराए जिसके बाद पुलिस चिकित्सा जांच/प्रमाण का प्रबंध करेगी और शिकायत की जांच करेगी; (निकट के पुलिस थाने के लिए विलक करें [यहाँ](#) फिर अपना ज़िला देखें);
- उत्तराखण्ड महिला आयोग से बातचीत करें। पीड़ित महिला एक बयान देती है। आयोग पति को बुलाएगी और अगर वह उत्तराखण्ड महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ तो आयोग न्यायालय को मुकदमा स्थान्तरित कर देती है।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- ग्राम पंचायत को सीधे शिकायत करें; फिर
- पुलिस से सीधे सम्पर्क करें और प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करें(शिकायत करने के लिए सम्पर्क हेतु विलक करें [यहाँ](#)); फिर
**श्रीमती राजेन्द्र वर्मा & श्रीए चपी श्रीवास्तव
कानूनी अधिकारी अंकिता शुक्ला 0522.2304903** फिर
- “Stand Up Against Violence” Contact अपने ज़िला और विभाग को [यहाँ](#) चुन कर शिकायत करें।

5 सफलता की कहानी

दिनेश शराब पीकर अपनी पत्नी को खूब पिटता था। उसकी पत्नी ने पुलिस में जाके शिकायत कर दी। जिसके बाद पुलिस ने दिनेश कि खुब पिटाई की और कहा की अगर उसने फिर अपनी पत्नी को मारा तो वह फिर पिटेगा। यह धमकी काफी थी उसे रोकने के लिए

2 मानवीय अधिकार: बाल मज़दूर और वेश्यावृति/अवैद्य व्यापार



‘कई लोग बच्चों या विशेषकर लड़की को समान की तरह खारीदते और बेचते हैं। हर दिन हम बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबे पर, यहाँ तक अपने घरों में काम करते हुए देखते हैं। ऐसी मज़दूरी से हम बच्चों का बच्चपन उनसे छीन रहे हैं जो अब गैरकानूनी है। अवैद्य व्यापार का मतलब अपहरण करके बेचना और उसे भी बुरा वेश्यावृति में डालना। एक नवयुवती का जीवन कितना खौफनाक होता है जब वह अपने परिवार से बिछड़ कर, अवैद्य व्यापार द्वारा वेश्यावृति में डाल दी जाती है। जहाँ उसका हर दिन बार बार बलात्कार होता है। हर साल कई हजार लड़कियाँ इस व्यापार की शिकार हो जाती हैं। इसको रोकने का एक ही रास्ता है अगर आप और मैं साथ मिलकर इसको रोक सकें अगर किसी को देखकर शंका हो तो।’

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (वेबसाइट हेतु [यहाँ](#) देखें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- उत्तराखण्ड महिला आयोग (वेबसाइट [यहाँ](#) देखें और नीचे स्कॉल करें)
- उत्तराखण्ड पुलिस (वेबसाइट [यहाँ](#) विलक करें फिर अपना ज़िला देखें)

2 अधिकार (*See Child Labour (Prohibition & Regulation) Act 1986 [here](#)*)

- बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम हो उनसे खतरनाक काम (जैसे ढाबाओं) में काम करवाना गैरकनूनी है।
- यह भी गैरकनूनी है कि बच्चों से वेश्यावृति/अवैद्य व्यापार का काम करवाना। इस नियम के अंदर वेश्या वृतिघर चलाना भी गैरकनूनी है। (वेबसाइट [यहाँ](#) देखें।)

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 90 प्रतिशत | समय सीमा 2 दिन)

- निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर फोन करें। यह हेल्पलाइन 10 अक्टूबर 2006 को शुरू की गई ताकि बाल श्रम और अवैद्य बाल व्यापार के बारे में पुछताछ कर सकें। यह सेवा 24 घंटे प्रतिदिन गैर सरकारी संस्था CHILDLINE के द्वारा उपलब्ध करी गई है (वेबसाइट [यहाँ](#) देखें)। 1098 (आपके प्रदेश का शहरों के लिए [यहाँ](#) देखें)
- अगर कोई बाल श्रम और अवैद्य बाल व्यापार देखें तो स्थानीय पुलिस थाना को FIR दें। (अपने सीनीयर पुलिस थाना के जानने के लिए [यहाँ](#) विलक करें फिर अपना ज़िला देखें।

मेरा स्थानीय पुलिस थाना है.....(पृ.3 पर विस्तार हेतु एंटर करें)

- अगर कोई बच्चा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत अवैद्य बाल व्यापार से बचाया जाए तो CHILD HELPLINE और पुलिस को बच्चे को 24 घंटों के अंदर बाल विकास कमेटी के सामने पेश करना होता है। उसके बाद 6 महीनों के लिए उन्हें एक सुरक्षित घर में रखा जाना ज़रूरी है। उस दौरान प्राधिकरण निर्णय लेंगे की क्या बच्चे को सुरक्षित है या नहीं धर भेजना।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- 1098 को फ़िर दो बारा फ़ोन करें।
- शिकायत की जांच करे (निकट के पुलिस थाने के लिए विलक करें [यहाँ](#) फिर अपना ज़िला देखें)
- ऑनलाइन शिकायत पंजीकृत [यहाँ](#) करें
- आर.टी.आइ दे श्रम विभाग (संपार्क [यहाँ](#) विलक करें)

5 सफलता की कहानी

एक आदमी रु 11,000 की ज़रूरत थी। उसने महाजन से कर्ज़ लिया, इस शर्त पर, कि आदमी ने अपना 12 साल की बेटी महाजन को देना था, 1 साल के लिए, नौकर के रूप में। 1 साल बाद, बाप ने अपनी बेटी वापस ली पर थोड़ी ही देर बाद महाजन ने कहा कि अभी तक कर्ज़ पूरा नहीं हुई थी। यह कहकर महाजन ने न सिफ़ बेटी, बल्की बेटा और बीवी भी ले ली। फ़ोरन आदमी ने 1098 को फ़ोन की। थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने बदमाशों को रेलवे स्टेशन पर गिरफ़तार किया।

ठ. पहचान के दस्तावेज़



1 पहचान के दस्तावेज़—(मतदाता फोटो पहचान पत्र)

ऊपर दी गई योजनाओं को पाने के लिए कुछ योग्य दस्तावेज़ों को दिखाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा बुन्यादी दस्तावेज़ मतदाता फोटो पहचान पत्र होता है। हर भारतीय जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होती है उनका यह अधिकार होता है।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- भारत का चुनाव आयोग (अधिक जानकारी हेतु [यहाँ](#) विलक करें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- मुख्य चुनाव अधिकारी (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) विलक करें)

2 अधिकार (*Best Source: Chief Electoral Office www.ceo.uk.gov.in*)

- मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु (अगर आवेदन करने के वर्ष में आवेदक ने 1 जनवरी को उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो)
- मतदाता फोटो पहचान पत्र (अगर मतदाता सूची में नाम हो तो)

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 90 प्रतिशत अगर मतदाता फोटो पहचान पत्र मोहिम समय सीमा 1 माह)

i) मतदाता सूची में नाम के लिये निर्देश पर देखें फार्म-6 पृष्ठ 61 देखें

- मतदाता सूची में नाम लिखाने हेतु [यहाँ](#) देखें अगर नहीं है तो:
- समय—समय पर जब घर—घर जाकर मतदाता सूची का नवीनीकरण लगभग 5 साल में होता है तो पंजीकरण कराएं; या
- नए पंजीकरण को चुने अपने जिले और सदन को पृष्ठ 3 देखें
- अपने मतदाता क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास जाकर किसी भी समय फार्म-6 (डाउनलोड करें [यहाँ](#) से या पृष्ठ 61) भर कर पंजीकरण कराएं। अपने मतदाता क्षेत्र के बुथ अफसर का नाम मिलने के लिए विलक करें।

निम्नलिखित दस्तावेज़ की आपको आवश्यकता होगी:

- आयु का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र या स्वधोषणा। (फार्म-6 पृष्ठ 61 का आखरी पृष्ठ देखें)
- आवास का प्रमाण (निवास की न्यूनतम समय आवश्यक नहीं है, लेकिन आप को कुछ दस्तावेजी प्रमान की ज़रूरत होगी कि आप वहाँ रहते हैं):
 - बैंक/किसान/डाक घर का हाल का पासबुक, या
 - आवेदक का राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्रायविंग लाइसेंस/आय कर असेसमेंट आर्डर, या
 - हाल का पानी/टेलिफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल पता के लिए, या तो ये आवेदक के नाम से हो या फिर उसके निकटतम सम्बंधी जैसे पिता/पति के नाम से हो; या
 - डाक विभाग के द्वारा जारी या प्राप्त डाक पता के लिए जिस पर आवेदक का नाम पता के साथ दिया गया हो।

ख. मतदाता फोटो पहचान पत्र

मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता केंद्र (वी आर ई सी) में निम्नलिखित के साथ आवेदन करें:

- मतदाता सूची पर नाम (जांच ले कि [यहाँ](#) सूची में आप नाम है या नहीं)
- पहचान का दस्तावेज़; एवं
- मान्य आवासीय सबूत

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता कार्यालय में सीधे शिकायत करें जहाँ आपने आवेदन दिया था; फिर
- मतदाता पंजीकरण कार्यालय में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदन करें जहाँ आपने आवेदन दिया था। सम्पर्क के लिए [यहाँ](#) देखें।

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें!

2 पहचान के दस्तावेज़ – आधार कार्ड

आधार कार्ड 12 अंको का नंबर UID है जो हर भारतीय को जारी किया जाएगा । इस नंबर द्वारा सभी नागरिकों का रिकार्ड जिसमें उसका नाम , जन्म तिथि, जन्म स्थल , माता पिता का नाम और उनका UID , पता, लिंग, मृत्यु की तारिख, तस्वीर और उँगलियों के निशान होंगे। आधार कार्ड मुफ्त में बनाया जाता है । अच्छा होगा की हम सबके पास आधार कार्ड हो । इससे बैंक खाता खुल सकता है । परन्तु अभी वो अनिवार्य नहीं हैं ।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार

- UIDAI (वेबसाइट के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें)

2 अधिकारी (Best source: Aadhaar site <http://uidnumber.org/aadhaar/what-is-aadhaar/>)

- हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसके पास पर्याप्त दस्तावेज़ हो उनको आधार कार्ड मिल सकता है ।
- जो बच्चे 3 साल से छोटे हैं उनसे संबंधित जानकारी नहीं ली जाएगी । अथवा उनका आधार कार्ड उनके माता पिता / संरक्षक से जोड़ा जाएगा ।
- 5 साल से कम बच्चोंकी पहचान उसके माता पिता से जोड़ी जाएगी । पांच साल पूरे होने के बाद, बच्चे की आधार के अंतर्गत गणना की जाएगी । 15 साल के बाद बच्चे का पंजीकरण दुबारा से किया जाएगा ।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 80 प्रतिशत | समय सीमा 1 माह)

- आवेदन फार्म [यहाँ](#) भरें । या पृष्ठ 65 पर फार्म देखें ।
- दस्तावेज़ जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो यह है :
- पहचान पत्र ,
- घर का प्रमाण पत्र ,
- जन्म प्रमाण पत्र ;
- विस्तार में दस्तावेज़ जो दिखाए जा सकते हैं वो [यह](#) है ।)
- पंजीकरण के लिए [यहाँ](#) दिए गए संस्थान में अपने दस्तावेज़ जमा कराएं ।
- जिनके पास ऊपर दिए गए दस्तावेज़ ना हो तो उनके लिए *Introducer* योजना उपलब्ध की हैं । पंजीकरण के कुलसचिव किसी भी व्यक्ति जिसके पास पहले से आधार कार्ड है उनको यह अधिकार दे सकते हैं । जो संबंधित व्यक्ति और द्वारा दी गयी सभी जानकारी की साक्षी हैं । *Introducer* सरकारी कार्यशाला, बैंक, टीचर, गाँव का पोस्टमास्टर, चुना हुआ अभियुक्त या गैर सरकारी संस्था हो सकते हैं । *Introducer* को पहले पंजीकृत करके प्रशिक्षण दिया जाएगा । उनका UID उनके साथ पंजीकृत किया जाएगा । जिनके नाम पहले से सूची में दिए गए हैं ।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता न मिले)

- 011 23752677 संपर्क करें ।
- RTI लिखें
केंद्रीय लोक सुचना अधिकारी (CPIO) UIDAI से सम्बंधित हैं
श्री आशीष शर्मा
ADG & CPIO
2 मंजिल , टावर १
जीवन भारती बिल्डिंग, कनौत प्लेस
नयी दिल्ली ११०००९
- फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो कृपया करके अपील सम्बन्धी कुलसचिव को संपर्क करें
श्री देवेंदर कुमार
2 मंजिल , ३ टावर १
जीवन भारती बिल्डिंग कनौत प्लेस, नयी दिल्ली ११०००९

3 पहचान के दस्तावेज़ - (जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र)

जन्म प्रमाण पत्र एक जरूरी दस्तावेज़ है। बच्चों से संबंधित जानकारी /योजनाओं को लेने के लिए, जैसे धनालक्षणी (पृष्ठ 13) या स्कूली दाखिला (पृष्ठ 22)।

मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है विद्यावा पेशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (पृष्ठ 11) के लिए।



1 सम्बंधित विभाग

उत्तराखण्ड सरकार:

- जिला प्रशासन: (उत्तराखण्ड में डीएम लिस्ट देखने के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें)
- अपने जिले के बारे में अधिक जानकारी के लिये <http://districts.nic.in/> क्लिक करें)

नगर पालिका (स्थानीय) प्राधिकारी

2 अधिकार (Best sources: <http://www.advocatekhoj.com/library/legalforms/howdoi/index.php>)

जन्म प्रमाण पत्र

हर बच्चा जो अस्पताल या घर में पैदा उत्तराखण्ड में होता है। उसको जन्म प्रमाण पत्र पाने का पूरा अधिकार है।

मृत्यु प्रमाण पत्र

हर परिवार जिसके सदस्य की मृत्यु उत्तराखण्ड में हुई हो। उसको मृत्यु प्रमाण पत्र पाने का पूरा अधिकार है।

3 आवेदन का तरीका

क. जन्म प्रमाण पत्र (सफलता की आशा 60 प्रतिशत। समय सीमा 2 माह)

प्रक्रिया देखाने के लिए क्लिक करें [यहाँ](#)

अगर जन्म का पंजीकरण जन्म के 21 दिनों के अन्दर हुआ हो तो:

- अस्पताल में जन्म – नगर पालिका अधिकारियों और माता/पिता को पर्ची दी जाएगी; या
- घर में जन्म, 15 दिन के अंदर पंचायत सचिव जन्म प्रमाण पत्र जारी करें। अगर वह ना करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिसने जन्म का पंजीकरण किया है वह ANM को रिकार्ड दें जो जन्म प्रमाण पत्र सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्र के ब्लॉक मेडिकल अफसर से दिलवाएंगी।
- जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए साधारण तौर पर नगर पालिका अधिकारी के पास जाएं।

अगर समय पर जन्म का पंजीकरण न हुआ हो तो और बच्चे की उम्र 1 वर्ष हो गई हो तो एस.डी.एम या डी.एम के पास जाएं।

- <http://districts.nic.in/> या [यहाँ](#) क्लिक करे फिर अपना राज्य और ज़िले के एस.डी.एम या डी.एम को देखें।
- (मेरे गांव का एस.डी.एम / डी.एम है.....पृ.3 पर रखें)
- आपको एक शपथ पत्र की आवश्यकता होगी जिसमें पिता का नाम, बच्चे का नाम, जन्म तिथि और पता का विवरण होगा।
- ये बच्चा सच में है, ये सिद्ध करने के लिए आपको कोई दस्तावेज़ प्रमाण देना होगा। (विद्यालय रिकार्ड आदि); और
- उसके बाद बच्चे की मौजूदगी जानने के लिए एक पुलिस जांच होगी।

घ. मृत्यु प्रमाण-पत्र (सफलता की आशा 60 प्रतिशत। समय सीमा 1 माह)

प्रक्रिया देखाने के लिए क्लिक करें [यहाँ](#)

मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के लिए मृत्यु के 21 दिनों के अन्दर पंजीकृत होना चाहिए:-

- अस्पताल में मृत्यु – नगर पालिका अधिकारी को पर्ची दी जाएगी।
- घर में मृत्यु, घर के मुखिया को नगर पालिका में मृत्यु का पंजीकरण कराना चाहिए।

मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु नागर पालिका अधिकारियों के पास जायें:


- कब्रिस्तान/शमशानघाट की पर्ची;
- पहचान पत्र या राशन कार्ड;
- अगर मृत्यु को हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका हो तो एस.डी.एम/डी.एम से प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- अपने बड़े अधिकारी के पास जा के अपने आवेदन के बारे में पुछताछ करें।
- सूचना के अधिकार के तहत एस.डी.एम/डी.एम को आवेदन दें (डी.एम के लिस्ट देखने [यहाँ](#) या <http://districts.nic.in/> लिए क्लिक करें)

4 पठवान के दस्तावेज़—(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र

जिस मनुष्य के पास अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र हो तो वह आरक्षण के अंतर्गत विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए और कुछ सरकारी नौकरियों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय <http://socialjustice.nic.in/aboutdivision4.php>

उत्तराखण्ड सरकार:

- जिला मजिस्ट्रेट (उत्तराखण्ड के डी.एम के लिस्ट देखने [यहाँ](#) या <http://districts.nic.in/> विलक करें)

2 अधिकार (Best source: <http://www.advocatekhoj.com/library/legalforms/howdoi/index.php>)

अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई भी सदस्य (अनुसूचित जाति की सूची देखने के लिए [यहाँ](#) विलक करें और जनजाति के लिए [यहाँ](#) या अन्य पिछड़ी जाति का कोई भी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के योग्य है, उसके बाद वह किसी भी क्षेत्र में आरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है जैसे

- विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए
- कुछ सरकारी नौकरियों में नौकरी के लिए

लेकिन व्यवसाय या आय के 'कीमी लेयर' में आने वाले किसी भी व्यक्ति को इस में शामिल नहीं किया गया है। कीमी लेयर की सूची देखने के लिए [यहाँ](#) विलक करें।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 80 प्रतिशत | समय सीमा 6 माह)

प्रक्रिया को विस्तार से जानने के लिए [यहाँ](#) विलक करें।

- आवेद-पत्रका फार्म या ता [यहाँ](#) ऑन लाइन पर उपलब्ध है या रि सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट या रेवन्यू विभाग के तहसीलदार के बाद उपलब्ध है।
- अगर आपके परिवार में पहले किसी भी सदस्य को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तो आपको प्रमाण पत्र जारी किए जाने से पहले एक जांच की जाएगी।
- उत्तराखण्ड में एक विशेष अवधि तक रहने का प्रमाण
- आप अनुसूचित जाति के हैं की व्याख्या करता हुआ एक शपथ-पत्र।
- आवेदन के समय कोर्ट स्टैम्प शुल्क की एक विशेष राशि देनी होगी।
- उसके बाद आपके निवास, आया, जाति और 'सम्पन्नता' की जांच की जाएगी।
- 21 दिनों के अन्दर जांच हो जानी चाहिए।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)


- डी.एम/एसडी.एम कार्यालय में जहां आपने आवेदन जमा किया है पता करें, फिर
- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत डी.एम/एस.डी.एम के पास आवेदन करें। <http://districts.nic.in/> या [यहाँ](#) विलक करें फिर अपना राज्य और ज़िले के एस.डी.एम या डी.एम को देखें।

5 सफलता की कहानी

पिपोरा खुरदा गांव के घनशयान पाल ने अन्य पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र के लिए तहसील कार्यालय छतरपुर ज़िले में अपना आवेदन जमा कराया। उन्हें एक महिने के अंदर प्रमाण पत्र मिल गया।

5 पहचान के दस्तावेज़ - (बैंक खाता)

योजनाएँ जैसे विधवा पेंशन अथवा दुसरे सरकारी बैतन (पृष्ठ 11) का उपयोग करने के लिए बैंक खाता का खोलना आवश्यक है।



1 सम्बंधित विभाग

सरकारी बैंक

- ग्रामीण बैंक
- स्टेट बैंक और इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, सेंट्रल बैंक

निजि बैंक

- कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक

डाक घर

टिप्पणी: सामान्य तौर से बड़े अन्तराष्ट्रीय बैंक गरीबों का खाता खोलने में रुचि नहीं लेते, इसलिए सामान्य बैंक में प्रयास करें जिनकी शाखाएं हर जगह हैं। ऐसीबीआई और कॉरपोरेशन बैंक में हमें सफलता मिली है। हमें लगता है कि ग्रामीण बैंक पर पहचान का प्रमाण सब से आसान है।

2 अधिकार (Best source: ?)

- संतोषप्रद दस्तावेज़ और एक गवाह के द्वारा 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति बैंक खाता खुलवा सकता है।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 90 प्रतिशत | समय सीमा 1 माह)

आधार कार्ड के लिए निवेदन दें (कृपया पृष्ठ 38 देखें) जिससे आप बैंक खाता खोलने के योग्य हो जाएंगे। डाकघर के लिए

- फॉर्म SB3 भरे :
- फॉर्म SB103 भरे :
- हस्ताक्षर :
- एक गवाह : और
- रुपए 50/-

दूसरे बैंकों के लिए

- फॉर्म भरे (एक ऐसे गवाह के हस्ताक्षर के साथ जिसका उस बैंक में 6 माह से अधिक समय से खाता हो)।
- पता का प्रमाण (राशन कार्ड एवं पहचान पत्र जिसपर एक जैसा पता हो) (डाक घर में खाता खुलवाने में कम प्रामाण की आवश्यकता होती है)।
- 2 पासपोर्ट फोटो
- कम से कम जमा राशि रुपए 500/-

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- बैंक मैनेजर/डाक घर मैनेजर से सीधे अपील करें।

5 सफलता की कहानी

6 पहचान के दस्तावेज़ – (व्यक्तिगत खाता नम्बर (पैन कार्ड))

पैन कार्ड आयकर जमा करने के लिए आवश्यक होता है। कोई भी भारतीय पैन कार्ड के लिए आवेदन दे सकता है या रख सकता है चाहे वह आयकर भरे या ना भरे। पैन कार्ड से कई दुसरी सेवाओं को लिया जा सकता है जैसे बैंक खाता खोलना।



1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार:

- आय-कर विभाग (वेब साइट के लिए [यहाँ](#) विलक करें)

2 अधिकार (Best Source: Tax Information Network <https://tin.tin.nsdl.com/pan/form49A.html>)

क. आय-कर अदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है।

ख. कोई भी भारतीय नागरिक चाहे वह आय-कर अदा करता हो या न करता हो, पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है व प्राप्त कर सकता है।

3 आवेदन प्रक्रिया (सफलता की आशा 80 प्रतिशत | समय सीमा 1 माह)

- फॉर्म 49ए ऑनलाइन [यहाँ](#) भरें, इन्टरनेट से डाउनलोड करें (फॉर्म के लिए [यहाँ](#) विलक करें) या पृ 66 पर देखें।
- प्राप्ति रसीद प्रिंट करें, हस्ताक्षर करें और संलग्न करें।
 - फोटो,
 - पहचान का प्रमाण: इन में से कोई भी— स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, लाइसेंस (जानकारी के लिए [यहाँ](#) विलक करें)
 - आवासीय प्रमाण: इनमें से कोई भी— हाल का फोन बिल, किराए की रसीद, राशन कार्ड, पहचान पत्र, लाइसेंस आदि (जानकारी के लिए [यहाँ](#) विलक करें)
 - रुपए 94/- (ड्राफ्ट द्वारा या ऑन लाइन)

आवेदन इस पते पर भेजें:

आय-कर पैन सेवा इकाई,
नेशनल सेक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड,
तीसरी मंजिल, सफायर वैम्बरर्स,
निकट बानेर टेलिफोन एक्सचेंज,
बानेर, पूणे – 411045 ,

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- [यहाँ](#) ऑन लाइन आवेदन की स्थिति देखें (12 अंकों वाले रसीद नम्बर का प्रयोग करें)
- एसएमएस करें— **NSDLPAN <खाली जगह>** प्राप्ति रसीद नम्बर लिख कर 57575 पर एसएमएस कर के स्थिति का पता करें
- tininfo@nsdl.co.in पर ई-मेल करें।
- 020-27218080 पर कॉल सेंटर को फोन करें

5 सफलता की कहानी


अपनी कहानी यहाँ लिखें!

ड- अतिरिक्त

1 अतिरिक्त-(सामुदायिक समस्या के सुलझाने के दस कदम)

1. गहरा सम्बंध बनाएं – समुदाय में निवासियों के साथ

किसी भी निर्धन समुदाय में परिवर्तन के स्थायित्व की कुंजी स्वयं वहां के निवासी होते हैं। लेकिन अक्सर, पीढ़ियों की निर्धनता और सशक्त लोगों द्वारा तिरस्कृत, निवासी इतने अधिक शक्तिहीन हो जाते हैं कि वे अपनी परिस्थिति को अपनी नियति मान लेते हैं। समुदाय के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपनी समस्याओं को पहचानने और उसका निराकरण करने के योग्य बन सके और उसके बाद निवासियों के छोटे समूह के लिए है कि वह अपने समुदाय में परिवर्तन का एजेंट बनने के लिए ज्ञान, कुशलता और 'हृदय' (हिम्मत, आत्म विश्वास और आत्म त्याग) को विकसित करे। हम विश्वास करते हैं कि मुख्य निवासियों में ज्ञान, कुशलता और हृदय को विकसित करने में सहायता देने के लिए सब से बेहतर रास्ता ये है कि हमारे अपने कार्यकर्ता समुदाय के मुख्य व्यक्तियों के साथ समानान्तर, स्नेहपूर्ण सम्बंध स्थापित करें। हालांकि हमारे कार्यकर्ता समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया के आरम्भ से समुदाय के मुख्य लोगों से साथ घनिष्ठ सम्बंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। किस के साथ सम्बंध स्थापित किया जाय, इसका चुनाव करने के लिए हम जानबूझ कर नेक हृदय रखने वाले ऐसे मुख्य निवासी को ढूँढ़ते हैं जो समुदाय के विकास के सफर को संस्था के द्वारा छोड़े जाने पर आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। निवासियों के साथ बेहतर सम्बंध स्थापित करने का एक अतिरिक्त लाभ यह होता है कि जब हम 2 सितम्बर को रिसर्च करेंगे तो हम समुदाय की सच्ची कहानी को प्राप्त कर सकेंगे।



2. सीखो समुदाय के बारे में – देखना एवं पूछताछ

यह महत्वपूर्ण है कि हम समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को स्वयं को विशेषज्ञ की हैसियत से न जा कर सीखने वाले की तरह जाकर आरम्भ करें। समुदाय के बारे में जानने के सबसे उत्तम तरीकों में से एक है कि साधारण रूप से आप स्वयं घूम घूम कर आवास, बिजली, सफाई, जल, सामुदायिक सम्बंध, किनारे पड़े समूह आदि की परिस्थिति का अवलोकन करें। लेकिन समुदाय कुछ चीजों जैसे कॉलोनी का इतिहास, अपनी कॉलोनी के बारे में निवासी किस बात को शाबाशी देते हैं और अपनी किस समस्या को वे वरीयता देते हैं आदि के बारे में हम अवलोकन नहीं कर सकते। इन गुप्त तथ्यों को जानने के लिए हमें प्रश्न करने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से उनके साथ जिनके साथ हम निकट का आपसी सम्बंध बना रहे हैं (कदम 1 से आगे)।

3 सोचो – समुदाय के साथ समस्याओं के बारे में

हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के सम्बंध में यह आवश्यक है कि ज्यलंत समस्याओं के बारे में उनमें स्वयं एक एहसास होना चाहिए, एक टीम की हैसियत से हमने जो कदम 2 से सीखा है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। ये मूल्यांकन उन समस्याओं को प्रकाश में लाएगा जो निवासियों पर अधिक प्रभाव डालते हैं, जो समस्या विपक्ष उत्पन्न करती हैं, इसलिए उन समस्याओं को प्रकाश में लाने से उनका निराकरण सफलता के साथ किया जा सकेगा। ये मूल्यांकन इसलिए नहीं है कि उन्हें समुदाय पर थोपा जाए, बल्कि इसका लाभ ये है कि समुदाय की बैठक बुलाने से पहले यह निर्णय लिया जा सके कि किस समस्या पर पहले कार्य आरम्भ किया जाए (कदम 4)।

4. मीटिंग चलाओ – समुदाय के साथ समस्याओं के बारे में

जबकि हमारी संस्था की टीम सितम्बर 3 को अपना मूल्यांकन करती है, अन्तिम निर्णय लेने में ये महत्वपूर्ण है कि पहले किस समस्या का निराकरण किया जाए जिसे हकीकत में निवासियों को स्वयं करना है। इसे एक सामुदायिक बैठक में जिसमें बहुत सारे निवासियों के समूह जैसे महिलाएं, बच्चे, मुसलमान, हिन्दू वंचित आदि शामिल होंगे किया जाना है। बहुंत सारे विभिन्न समूह और भिन्न विचारधारा रखने वाले समूहों के साथ एक सफल बैठक का आयोजन करना इस पूरी प्रक्रिया में सब से अधिक कठिन कार्य है। संचालक को प्रत्येक पार्टी को सुनना, ऊंची आवाज उठाने वालों को शान्त करना और प्रथम समस्या के निराकरण के लिए निवासियों को एक मत करना होगा।

5. सीखो – संसाधनों के बारे में जिस से समस्याओं का समाधान किया जा सके

समुदाय के द्वारा निर्णय ले लिए जाने के पश्चात कि पहले किस समस्या का समाधान किया जाए, हमारी संस्था इस मैनुअल का प्रयोग कर सकती है, इसका बड़ा नेटवर्क, इंटरनेट रिसर्च, आर.टी.आइ. का प्रयोग और समुदाय से सम्बंधित उपलब्ध संसाधनों के सम्बंध में सूचनाओं को इकट्ठा करना आदि समस्या के समाधान में प्रयोग हो सकेगा। हो सकता है कि ये संसाधन सरकार के पास (इस पुस्तिका में), स्वयं सेवी संस्थाओं के पास, और स्वयं समुदाय में पाए जाएं। फिर से यह स्पष्ट करते हैं कि इस रिसर्च का उद्देश्य उन संसाधनों को समुदाय पर थोपना नहीं है बल्कि इसे होने वाली अगली सामुदायिक बैठक (6 सितम्बर) को सम्मुख रखना है।

6. योजना बनाओ – समस्याओं के समाधान के लिए

सितम्बर 4 को आयोजित होने वाली अन्य सामूदायिक बैठक में प्रथम समस्या के समाधान हेतु प्लान एकशन बनाया जाना है। योजना में यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि कौन क्या करेगा, कब ये किया जाएगा और कौन होने वाले किस खर्च के लिए भुगतान करेगा। जबकि सभंव है कि हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ता एकशन प्लान के सदस्य होंगे लेकिन ये महत्वपूर्ण होगा कि हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ता अधिक जिम्मेदारियों को न लें। अगर निवासी सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं हैं तो यह प्रक्रिया के प्रति रुचि की कमी का संदेश देता है और तब हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है कि आगे बढ़ने से पहले उनमें तसल्लीबख्त्ता हद तक रुचि उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करें। योजना का यह चरण इस बात का भी द्योतक होगा जिसमें परमेश्वर इस समस्या समाधान की प्रक्रिया में एक सहायक के रूप में परिचित होगा। भारत के बहु-विश्वासीय परिक्षेप में सामूदायिक समस्याओं के समाधान के लिए लोग अपनी परम्परा के अनुसार परमेश्वर से सहायता प्राप्त करने के लिए उसे बुलाने हेतु राजी होंगे।

7. काम करो – योजना के अनुसार

निवासी जो एकशन प्लान (कदम 6 से) के अनुसार कदम बढ़ाने को तैयार हो गए हैं, उसके बाद आगे का कार्य आरंभ करें। अक्सरहाँ इस कदम में वर्तमान सरकारी सेवाओं को लागू करने के लिए सरकारी अफसरों से बातचीत करना भी शामिल होता है जो निवासियों को उपलब्ध होना चाहिए। प्रयोगिक रूप से इसमें सम्मिलित होगा, उन आवेदन प्रक्रियाओं का प्रयोग करना, जो इस पुस्तिका में दिये गये हैं।

8. सोचो – काम कैसा था ?

अगर प्लान ऑफ एकशन के अनुसार चलने के बाद, निवासियों को समस्या में समाधान के सफलता मिलती है तो इस सफलता के आनन्द को मनाना महत्वपूर्ण है। अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें आवश्यकता है कि हम नया एकशन प्लान बनाएं और इस मैनुअल में दिए गये मध्यस्थिता के कदम का और अपने सीखे गए कदम 7 का प्रयोग करें।

6-8 करते रहना जब तक सफलता न मिले या लगता है कि सफलता नहीं मिल सकती

9. अगला समस्ये को योजना बनाना – संस्थाओं के निम्न सहयोग के कम और निवासियों के अधिक सहयोग से

प्रथम समस्या पर निर्णय के बाद हम कदम 4 पर आते हैं और दूसरी सामूदायिक समस्या को हल करने के लिए चुनते हैं। ऐसा करने से हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ता कम जिम्मेदारी लेते हैं जबकि निवासियों को अधिक जिम्मेदारी लेने का प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह, निवासी, मुख्य रूप से 'नेक हृदय लोग' समस्या समाधान की समस्त प्रक्रिया को अच्छी तरह सीखते हैं और बाद में वे बिना संस्था के कार्यकर्ताओं के सहयोग के उसे कर सकते हैं।

10. सी.बी.ओ (समुदाय आधारित संस्था) बनाना

कदम-1 में पहचान किए गए 'नेक हृदय लोग' और समस्या समाधान की प्रक्रिया में सिखाए गए लोग अन्त में एक स्वतंत्र समुदाय आधारित संस्था का निर्माण करेंगे और वे स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा उस क्षेत्र से बाहर चले जाने के बाद सामूदायिक विकास के कार्य को दिशा देंगे। कुछ समय बाद वह समूह एक औपचारिक सामूदायिक कल्याणकारी संस्था को पंजीकृत कराएगी ताकि उसे सरकार के साथ मामले को हल करने और अधिक जिम्मेदारी लेने को अधिकार प्राप्त हो सके।

2 अतिरक्ति – सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की टेबल

सेवा	पृष्ठ	ए.पी.एल हेतु	बी.पी.एल हेतु	रा.ग्रा.स्व. मंत्र के अन्तर्गत यहां	भारत निर्माण के अन्तर्गत यहां	सर्वोच्च न्या. के कमशिनर के तहत यहां
पीने का पानी	6	*	*		*	
राशन कार्ड	7	*	*			*
बी.पी.एल राशन कार्ड	7		*			
अंत्योदय कार्ड	7	*				*
आंगनवाड़ी	8	*	*			*
मध्यान्तर भौजन	9	*	*			*
नरेगा	10	*	*			*
गरीब आर्थिक	11	*	*			*
विधवा वृद्धा पेंशन	11		*			*
बालिका	13		*			
प्रशिक्षण	14	*	*			
स्मार्ट कार्ड	16		*	*		
टीकाकरण	17	*	*	*		
जे एस वाई प्रसव	18	*	*	*		*
विकलांगता पेंशन	19		*			
नशा पुनर्वास	20	*	*			
एच आई वी	21	*	*			
सरकारी विद्यालय	22	*	*			
छात्रवृत्ति और लाभ	23		*			
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी	24	*	*			
बिजली	25	*	*		*	
गैस कनेक्शन	26	*	*			
शौचालय छूट	27		*	*		
करंजा	28	*	*			
इंदिरा आवास	29		*		*	
भूमिहीनों हेतु भूमि	30		*			
सिंचाई सुविधा	31	*	*		*	
फसल बीमा	32	*	*			
सबसीडी	33	*	*			
सड़क	34	*	*		*	
घरेलू हिंसा	35	*	*			
वेश्यावृत्ति	36	*	*			
पहचान पत्र	37	*	*			
आधार कार्ड	38	*	*			
जन्म प्रमाण पत्र	39	*	*			
अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण	40	*	*			
बैंक खाता	41	*	*			
पेन कार्ड	42	*	*			

3 अतिरिक्त – अच्छा आवेदन लिखने पर टिप्पणी और एक नमूना

अपने आवेदन में यह जानकारी ज़रुर लिखें

- 1 आपकी समस्या क्या है ? एक फोटो के साथ अच्छा होगा ।
- 2 आपके अधिकार और वह नियम जिस से वह अधिकार आता है (वेबसाइट के साथ) ।
- 3 आवेदन साफ़ बताइए । आपको क्या चाहिए और कब तक ?
- 4 साफ़ बताइए कि अगर आपका काम पूरा ना हो तो आप क्या करेंगे ।

एक प्रति मुख्य कार्यालय को भी भेज दो



नमूना

सेवा में,
जल निगम कार्यालय ,
फजेपूर
उत्तराखण्ड

1 मार्च 2013

विषय – पीने के पानी की उपलब्धता न होने के सन्दर्भ में

महोदय,

- 1 मैं शिवकटरा क्षेत्र का निवासी हूँ । वहां के लोगों को पीने हेतु शुद्ध पानी की उपलब्धता की कमी है। हमारे क्षेत्र की 2000 अबादी पर 4 हैण्डपम्प ही हैं । दिखाने के लिए एक फोटो भी लगा है ।
- 2 भारत सरकार द्वारा *booklet (p.11-13)* <http://bharatnirman.gov.in/download.pdf> लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने हेतु राजीव गांधी राय्ट्रीय पेयजल मिशन, राय्ट्रीय जल एवं सफाई मिशन, गाटसन (यूनिसेफ) व ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक 250 की जनसंख्या पर 1 हैण्डपम्प होना चाहिए । परन्तु इस क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है ।
- 3 आप श्रीमान जी से अनुरोध है कि 30 सितंबर 2013 से पहले 4 हैण्डपम्प और लगा दीजिए ।
- 4 इस दौरान यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सका तो इसे जल्द से जल्द दूर करवाने हेतु सूचना के अधिकार के तहत इसके बारे में जानकारी लेने हेतु मुझे मजबूर होना पड़ेगा ।

अतः आप श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने हेतु इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी कानपुर

सहयोग की अपेक्षा में

कैलाश नाथ पाण्डेय
फजेपूर

प्रति उत्तराखण्ड जल निगम कार्यालय

अच्छा अर्जी देना

अ. तैयारी

- कोई बस्ती का निवासी साथ ले जाना।
- अगर हो सकता है, जाने से पहले मिलने का समय तय करना।
- अच्छे कपड़े पहनना।
- अपना I कार्ड साथ ले जाना।
- डायरी, कापी और पेन साथ ले जाना।
- जो कोई कागजात आप देना चाहते हैं उनके दो दो कापी बना लेना।
- जो कोई कागजात आपको देना पड़ेगा, उनके ऑरिगिनल और कापी लेना।
- पहले से मालूम करना दफ्तर कहाँ है और कैसे जाएं।
- पैसे लेकर जाना – अगर देर हो रही हो तो त्री व्हीलर में चलना।
- समय पर पहुँचना।
- नियमों और नीतियों को अच्छी तरह जानले (इस वरिष्ठ अधिकारी का नाम भी) अंदर जाने से पहले।
- आप अंदर जाने से पहले आप अपना धमकी को तैयार करना।
- फैसला करना कि कौन बोलेगा।

आ. मीटिंग के दौरान

- अपना परीचय देना। शायद उनका नाम, पद और फोन नम्बर को पूछना।
- अपना आनेका कारण साफ से बताना। अगर चिट्ठी देनी है तो उसके लिए “रीसीव्ड” मोहर लगवाना।
- खामोश रहो। अगर जगड़ा हो तो आप हरेंगे।
- जो कुछ भी अफसर आपसे कहते हैं, उसको दोहराना (कभी कभी अफसर अपनी नामुनासिब बातें सुनकर उस के बदले कुछ मुनासिब बात बताएंगे)।
- समय तय करना कि आधिकारी कब आपके काम करेंगे।
- साफ से बताना कि आप क्या क्या करेंगे और कब।
- शुक्रिया कहना।

इ. डीब्रीफ

- अगर कोई आप के साथ गया था, उससे पूछना मीटिंग आप के लिए कैसी थी।

ई. लिखना

- अपने फाइल में लिखना मीटिंग का समय और तारीख, किससे मिले, क्या नतीजा हुआ, कोई खर्च जो हुई हो, जो कोई कागजात दिए उस की कापी लगाना।
- अगला कदम अपनी डायरी या कापी में लगाना।

उ. अगले कदम

- अगर आप ने कुछ करने को कहा, तो उसे करना।
- अगर अफसर ने कुछ करने का वादा किया, तो फोन करके मालूम करना कि होने वाला, हुआ या क्या हुआ।
- अगर सफलता हो तो जरूर आफसर को शुक्रिया कहना।

4 अतिरिक्त - भ्रष्टाचार का सामना कैसे कर सकते हैं?

कई बार सरकारी कर्मचारी आपके आवेदन पत्र को नहीं लेते या उन्हें नियत तरीके से आगे नहीं बढ़ाते जब तक उन्हें धूस नहीं मिल जाती। वो कभी सीधे तरीके से नहीं बोलते, चाय पानी या कुछ दे दो बोल के मांगते हैं। कभी कभी सीधे बोलने के बजाय वो दलाल द्वारा सेवा वेतन बोल के सरकारी काम कराते हैं, जिसमें से कुछ पैसा कर्मचारी को सरकारी काम करने के लिए दिया जाता है। नमूने के तौर पर, एक बच्चे के जन्म पत्र को लेने के लिए 700रु लगते हैं। उसी तरह जहाँ ज्यादा कार्य है वहाँ ज्यादा की धूस होती है, जैसे राशन कार्ड या कोई भी ज़रूरी दस्तावेज़ ऐसे भुगतान की कोई रसीद भी नहीं होती है, जिससे यह साबित करना मुश्किल हो जाता है की किसी ने धूस ली है। अगर कर्मचारी ने मना कर दिया की उसने धूस नहीं ली है। ऐसी धूस काफी ज्यादा रूपयों में भी दी जाती है, कई बार इन स्थान पर आने के लिए (सरकारी नौकरियों) भी बहुत धूस दी जाती है इसलिए इन जगहों में धूस लेने की संभावना बहुत होती है। बहुत लोग राशन कार्ड या दुसरे दस्तावेज़ लेने के लिए उत्सुक होते हैं की उन्हें धूस देने में कोई परेशानी नहीं होती। यह साफ ज़ाहिर होता है की ऐसे कामों का कोई फायदा नहीं होता जब की कई बार मायूसी ही मिलती है हालांकि इस शेत्र में कई कठनाई है।



क्या समस्याएँ हैं इस संगठन में ?

- जितना ज्यादा धूस दी जाएगी उतना ही ये संस्थान में उलझती चली जाएगी।
- भ्रष्टाचार से गरीब बिलकुल बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो धूस देने में सक्षम नहीं होते, वो उन्हीं सेवाओं से वंचित रह जाते हैं जिसके बहुत होते हैं। इसलिए कई विधवाओं को उनकी पेंशन नहीं मिलती, गरीबों को बी पी एल कार्ड नहीं मिलता क्योंकि वो धूस नहीं दे पाते।
- या तो फिर सच्चे कर्मचारी को यह कार्यालय भ्रष्ट बना देते हैं।
- यही धूस इन कार्यालयों को धीमें कर देती है जिन्हें कुशलतापूर्वक कार्य करना चाहिए।

हम क्या कर सकते हैं अगर हमसे धूस मांगी जाये तो ?

क) बात करने से पहले

- अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए, कितना लागू भुगतान हैं, इस पुस्तिका को इस्तेमाल करके ताकि आपको बेवकूफ ना बनाया जाये।
- जहाँ भी मुमकिन हो, अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करें या चिट्ठी लिखकर जिससे आप धूस देने से दूर रहें।
- लिखित आवेदन के लिए अतिरिक्त 3 (46) को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कर्मचारी को लगे की आप कितने गंभीर हैं अपने पत्र में।
- अपने साथ किसी को साथ लेके जाएँ ताकि आपके पास गवाह हो अगर कोई आपसे धूस मांगे।

ख) बातचीत के दौरान अगर कोई कर्मचारी चाय पानी या कुछ देने को कहे तो

- उसे पूछे की उस भुगतान के बारे में कहाँ लिखा है (जिसके उसकी गलती पर रोशनी पड़े)
- उससे कहें की आप भुगतान देने को तैयार हैं अगर वो आपको लिखित पर्ची दे (इससे उसके गलत कामों की साफ जानकारी मिलेगी)
- उसकी मांग को ज़ोर से दोहराएँ ताकि आस पास के लोग सुन सकें और वो कर्मचारी शर्मिदा हो जाए।
- अगर वो फिर भी ज़ीद करे तो उसे दिखा के उसके बारे में पूरी जानकारी लिखें और उसे पता चले की आप सब लिख कर ले जा रहे। दिन, समय, जगह और मांग को लिख लें। उस कर्मचारी का नाम और पद बताने में आना कानी करे तो उसके पहचान की जानकारी प्राप्त करें तो उसके बिले या मेंज़ पर रखी कोई चीज़ से।

ग) बातचीत के बाद आप निर्णय ले सकते हैं आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं अगर उसके नियत कार्य करना चाहते हैं तो

- संचित में सारा निवेदन लिखें की क्या हुआ था, दिन, समय, कर्मचारी और उसकी मांग के बारे में।
- उस कर्मचारी के मालिक का नाम पता लगवाएं (दुसरों से या वेबसाइट से या इस पुस्तिका से)।
- अपनी लिखित शिकायत उस बड़े अफसर को दे (या फिर किसी भी सहायता संगठन जो सहायता के भाग में दी है इस पुस्तिका से)
- लिखित शिकायत देने के बाद, प्राप्त स्टाम्प ज़रूर से ले, उस अनुरोध में यह भी बताएं की वो कार्यालय क्या कदम उठाएगी उस कर्मचारी के विरोध और इस आशंका में की अगर दृढ़ कदम नहीं उठाए गए तो सुचना के अधिकार RTI में शिकायत भी भेज सकते हैं।
- अगर फिर भी कुछ न हो तो सी बी आई के भ्रष्टाचार के विरोधी का नंबर 9968 081216,7,8 को शिकायत दीजिए।
- फिर भी कार्य न हो तो किसी संस्था जो वहाँ कार्य कर रहा हो मिले या उमकपं के पास जाएं अतिरिक्त 6 (51)।

5 अतिरिक्त - सूचना के अधिकार के प्रभावी प्रयोग पर टिप्पणी

1. सूचना का अधिकार कब लाभदायक है?

क. व्यक्तिगत समस्याएँ (जैसे पेशन के आवेदन का आगे न बढ़ पाना)

- जबकि आपने किसी सरकारी लाभ के लिए आवेदन किया हो (इस पुस्तिक में दिए गए आवेदन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए)
- सामान्य अवधि समाप्त हो गई हो; और
- वांछित पूछताछ (इस मैनुअल में दिए गए प्रथम मध्यस्थता का प्रयोग) से काम न बना हो।



ख. सामुदायिक समस्याएँ (जैसे कूड़ा न उठाया जा रहा हो)

- जबकि एक जनसेवा जिसे होना चाहिए, न हो रही हो।

2. सूचना के अधिकार का आवेदन किस तरह लिखा जाए?

क. आवश्यक जानकारी

- जन सम्पर्क अधिकारी के विभाग और पता;
- तिथि;
- "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" लिखें;
- क्या जानकारी चाहिए (देखें नमूना नीचे)
- शुल्क रु.10/- (रसीद लेना स्मरण रखें) (बीपीएल कार्डधारी को कोई शुल्क नहीं, कार्ड की प्रति संलग्न करें)
- आपका हस्ताक्षर (आवेदक का);
- आपका नाम;
- आपका पता; और
- आपका फोन नम्बर।

ख. किस प्रकार प्रश्न पूछें (नमूना नीचे देखिए)

- 1 पहले बताइए कि आपने अवेदन कब की और उसका प्रति लगाओ।
- 2 पूछो कि उनके नियम के अनुसार कितना समाय लगना चाहिए।
- 3 पूछो कि किस अफ़सर ने क्या क्या काम किया है किस तारीख को।
- 4 पूछो कि क्या सजा हुई आफ़सर को जिसने ज्यादा समय लिया।
- 5 पूछो कि आपका काम कब पूरा हो जाएगा।

"क्यों" प्रश्न न पूछें।

3. किसको / कहाँ अपना आरटीआई दें

क. आरटीआई सम्बंधित सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी (पीआइओ) को सम्बोधित किय जाना चाहिए।

ख. पी.आइ.ओ. की सूची के लिए देखें:

- www.righttoinformation.org or
- www.rti.gov.in

ग. अगर आप सम्बंधित पार्टी हैं तो आप जिसे सरकारी विभाग से प्रश्न कर रहे हैं उसके द्वारा परेशान किए जाएंगे, आप डाक द्वारा आरटीआई भेजें। पंजीकृत या स्पीड पोस्ट का प्रयोग करें ताकि आपके पास प्रमाण रहे। आरटीआई के लिए भुगतान पाने वाले की लाईन खाली रख कर पोस्टल आर्डर के द्वारा शुल्क का भुगतान करें।

घ. अगर आरटीआई सम्बंधित सरकारी विभाग तक नहीं पहुंचा है तो ये पीआइओ की जिम्मेदारी है कि वह उसे सम्बंधित सही विभाग को भेजे। आरटीआई का उत्तर 30 दिनों के अन्दर आ जाना चाहिए।

If you win the appeal then PIO can be fined Rs250 per day up to maximum of Rs20,000 which is then awarded to the party lodging the RTI.

नोट: आरटीआई के अधिक उदाहरण के लिए देखें दिल्ली स्थित संस्था कबीर द्वारा संपादित 'Drive Against Bribe with RTI' Tel 22485139 e-mail: kabir.rti@gmail.com

(सूचना का अधिकार आवेदन का नमूना)
(केवल बोल्ड को बदलना है)

जन सूचना अधिकारी
सब डिवीजनल मैजिस्ट्रट
चमोली जिला
वीवर्स कॉलोनी, उत्तराखण्ड

5 मार्च 2013

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन
नजमा खातून के जन्म प्रमाण-पत्र के सम्बंध में जानकारी हेतु

महोदय,

- 1 मैंने अपनी बेटी नजमा खातून के जन्म प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि 2 अक्टूबर 2001) के लिए चमोली जिला के एस.डी.एम कार्यालय में 5 नवंबर 2012 को आवेदन किया था। उस आवेदन की एक प्रति संलग्न है। मेरे आवेदन पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवही नहीं की गई है। इसलिए कृपया कर के निम्नलिखित जानकारी देने की अनुकम्पा प्रदान की जाएः
- 2 आपके विभाग के नियम और उपनियम के अनुसार, एक जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कितनी अवधि का समय दरकार होता है ?
- 3 मेरे आवेदन पर हुई दैनिक प्रगति उपलब्ध कराई जाए। इस अवधि में मेरा आवेदन जिस अधिकारी के पास था उसका नाम और पद उपलब्ध कराया जाए। उस अधिकारी के पास कितने समय तक मेरा आवेदन रहा और उस अवधि में उसने उस पर क्या कार्यवही की ?
- 4 जिस अधिकारी/कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और देरी का कारण बना, उसके विरुद्ध क्या कार्यवही की जाएगी? ये कार्यवही कब की जाएगी ?
- 5 मैं अपनी बेटी का जन्म प्रमाण-पत्र कब तक प्राप्त कर पाऊंगा ?

मैं इस आरटीआई के साथ आवेदन शुल्क (रु. 10) अलग से जमा कर रहा हूं।

अगर आप महसूस करते हैं कि ये सूचना आपके विभाग से सम्बंधित नहीं है तो कृपया आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुच्छेद का 6(3) अनुपालन करें। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार कृपया अपने विभाग प्रथम अपील अधिकारी का विवरण (नाम व पद) अनुरोध किए गए उक्त जवाब के साथ हमें प्रदान करने की अनुकम्पा प्रदान करें ताकि मैं जरूरत पड़ने पर प्रथम अपील दायर कर सकूं।

धन्यवाद

शाजिअखातून

शाजिअखातून
125 गली न0-12,
चमोली, उत्तराखण्ड
फोन: 9856 478345

6 अतिरिक्त – मीडिया को इस्तेमाल करना

सशक्तिकरण के लिए मीडिया का इस्तेमाल कब काम का है ?

- समाजिक बदलाव को बढ़ाने के लिए;
- जनता में जागरूकता फेलाने के लिए;
- सरकारी फेसलों पर प्रभाव डालने के लिए;
- जनता को फंक्शन, हर्टाल वगैरा के बारे में जानकारी देने के लिए ।

1 मीडिया को क्या व कैसै जानकारी दें :

- पहले जानकारी का मक्क्षम स्थापित करो (जैसे कानून बदलने के लिए डबाव डालना, समाजिक जागरूकता फेलाना, आदि ।)
- संदेश की योजना करो व सोचो के यह संदेश किस को पहुंचना हैं (जैसे महिला, जवानों, आदि) ;
- उपाय बनाने के लिये ज़रूरी सवालें:
 - किस समस्य को स्पष्ट करना हैं?
 - समस्य का कोई हल हैं?
 - कौनसी सरकारी/गैर सरकारी समुदाय समस्य का हल कर सकता है ?
 - डस समुदाय का ध्यान कैसा पकड़ें ?
- संदेश को अप्रतिरोध्य, प्रभावशाली व संक्षिप्त बनाओ ।



2 मीडिया से समर्पक करना :

- खुद अखबार में देखकर पता करो कि कोन्से रिपोर्टर इस समस्य के बारे में लिखते हैं;
- समस्य के अनुसार, स्थानीय/राष्ट्रीय, अखबार/टी वी इस्तिमाल करो ।
- सूची बनाओ जिस में रिपोर्टर, चैनल आदि की फोन, ईमेल एड्रेस आदि है ।
- मीडिया से अच्छे ताल्लुक रखो.

3 मीडिया के इस्तेमाल के तरीके

- स्माचार निर्माचन;
- संपादक को चिटठी;
- ओप एद;
- मीडिया वर्कशाप (मीडिया को किसी समस्य के बारे में बताना);
- इंटरव्यू;
- प्रैस कांफ्रेस

जब संदेश मीडिया में आ गया, कहानी की कटिंग (अगर अखबार में हो) या ब्रादकार्स्ट की कापी (अगर टी वी हो) रख लो। यह बाद में काम आ सकता है ।

4 और जानकारी के लिए देखिए:

मीडिया एदवोकेसी मैनुअल, अमेरिकान पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन (ए.पी.एच.ए) वेबसाइट:

www.apha.org

7 अतिरिक्त – (प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप)

संक्षेप	पूरा नाम	अर्थ / मतलब	पृष्ठ
ए.ए.वाई	अंत्योदय अन्न योजना	असहायों के लिए राशन कार्ड	7
ए.एन.एम	असिस्टेंट नर्स मिडवाइफ	प्रसव हेतु प्रशिक्षित नर्स	18
ए.पी.एल	गरीबी रेखा से ऊपर	स्थायी निवासियों के लिए राशन कार्ड	7
ए.आर.टी	एन्ही रेट्रो वाइरल थेरापी	एच आई वी – एडज का मरीज़ का इलाज	21
आशा	एकिरडेटेड सोशल हेल्थ एडवोकेट	प्रसव मामले में प्रशिक्षित स्थानीय महिला	18
ए.डबलयू.सी.	ऑग्नवाड़ी सेंटर	जहां बच्चों को खाना मिलते हैं	8
बी.डि.ओ	ब्लॉक डिवेलपमेंट ओफिसर	जनपद अधिकारी	29
बी.एल.ओ	बुथ लेवल ओफिसर	अधिकारी जो मतदान मोहिम चलाते हैं	37
बी.पी.एल	गरीबी रेखा से नीचे	भारत सरकार द्वारा गरीबी का निर्धारण	7,11,16
सी.बी.ओ	सामुदायिक स्तर गैर सरकारी संस्था	जिम्मेदारियों के लेने वाला ऐसा सामुदायिक समूह	43
सी.एच.सी.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तुलना में अधिक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र	16–18
सी.एम.ओ.	मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी	जिला स्तर पर स्वास्थ्य	16–18
डी.एम	जिला मैजिस्ट्रेट	जिला का मुखिया	3
ई.आर.ओ	मतदाता पंजीकरण अधिकारी	मतदाता सूची में नाम हेतु आवेदन प्राप्त करने वाला अधिकारी	3,37
एफ.आई.आ	फर्स्ट इंफर्मेशन रिपॉर्ट	पुलिस को पहले रिपॉर्ट जब अप्राध होता है	35
एफ.एस.ओ	फूड एंड सप्लाई ओफिसर	राशन काड का आधिकारी	7
आइ.ए.वाइ.	इंदिरा आवास योजना	गरीबों के लिए आवास की योजना	29
आई.सी.डी.एस	सम्पूर्ण बाल विकास योजना	योजना जिसके अन्दर आंगनवाड़ी आता है	17
जे.एस.वाई	जन सुरक्षा योजना	अस्पताल में जन्म पर आर्थिक मदद	18
एम.एम.एस	मध्यान्तर भोजन योजना	सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क भोजन	9
एम.एल.ए	विधान सभा का सदस्य विधायक	राज्य विधान सभा का सदस्य	3,7,11
एम.पी	लोक सभा सदस्य	राष्ट्रीय पार्लियामेंट लोक सभा का सदस्य	3
एन.आर.जी.ए	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम	ग्रामीण परिवारों हेतु रोजगार योजना	10
एन.आर.एच.एम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए सरकारी योजना	17–18
ओ.बी.सी	अन्य पिछड़ी जाति	कुछ लाभ प्राप्त करने योग्य पिछड़ी जातियां	40
पी.एच.सी	पब्लिक हेल्थ सेंटर	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तुलना में कम सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्र	16–18
पी.आई.ओ	लोक सूचना अधिकारी	वह अधिकारी जिसके पास आर.टी.आई दिया जाता है	49–
आर.एस.बी.वाई	राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना	बी.पी.एल नागरिकों के लिए स्वास्थ्य योजना	16
आर.टी.आई	सूचना का अधिकार	सूचना पाने के अधिकार का कानून	49
एस.सी / एस.टी	अनुसूचित जाति / जनजाति	कुछ लाभों को पाने योग्य अत्यन्त पिछड़ी जाति	40
एस.डी.एम	सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	उ.ख. के सब डिवीजन का मुखिया	39–40

आवेदन पत्र

१ आवेदन पत्र – रशन कार्ड आवेदन (कृपया पृष्ठ ७ देखें)

कार्डधारी द्वारा दिया जानेवाला आवेदन सह घोषणा पत्र

(१) कार्डधारी का पूरा नाम -----

(२) कार्डधारी के पिता का नाम -----

(३) कार्डधारी का नौकरी या पेशा या ब्यौरा ----- पूर्व कार्ड की संख्या कार्ड नं-

(४) प्रतिष्ठान जहाँ कार्य करते हैं ----- कुल यूनिट बड़ा छोटा

(५) कार्डधारी के निवास स्थान का पूरा पता ----- संबद्ध दुकानदार का नाम व पता

(क) मकान/कार्टर संख्या/प्लाट संख्या: -----

(ख) मुहल्ले का नाम: -----

(ग) नगरपालिका की वार्ड संख्या: ----- होल्डिंग संख्या -

(घ) मकान अपना है या किराये का: -----

(६) यदि किराये का है तो मालिक का नाम: -----

(७) कार्डधारी के परिवार के सदस्यों की सूची जो कार्डधारी के साथ अनुभाजन क्षेत्र में रहते हैं। -----

क्रम संख्या	पूरा नाम	उम्र	कार्डधारी से सम्बन्ध
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

घोषणा: मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई राशन कार्ड नहीं है, न ही उनके नाम किसी अन्य चालू राशन में शामिल किये गये हैं। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि जहाँ क मेरी जानकारी और विश्वास है सभी सूचनाएँ पूर्ण एवं सही हैं। यदि हमारे नाम या हमारे परिवार के किसी भी सदस्यके कोई जाली राशन कार्ड या अन्य स्थान पर कोई राशन कार्ड पाई जाए तो वह अवैध जिम्मेवारी मुझपर होगा और इसके लिए मैं कानूनी कार्रवाई का हकदार हूँगा/हूँगी।

कार्डजाँच करनेवाले
आपूर्ति निरीक्षक का
हस्ताक्षर

सत्यापित करनेवाले
प्राधिकारी का पदनाम
तथा हस्ताक्षर

कार्डधारी का हस्ताक्षर
तारीख:

2 आवेदन पत्र - नरेगा पृष्ठ 10 देखो

ANNEXURE B-1

DETAILS NEEDED FOR APPLICATION FOR REGISTRATION UNDER EGS

ANSWER


Registration No. (to be assigned by Gram Panchayat)

1. Names/Age/Sex of Applicants

S.No.	Name	Age	Sex
i)			
ii)			
iii)			

- SC/ST/AW/LR/Beneficiary
5. Name of Block:
4. Name of Gram Panchayat:
3. Name of Village:
2. Name of Village:

I/We certify that the particulars given above are correct



३ आवेदन पत्र – पंशन पृष्ठ 11देखे

APPLICATION FORM FOR IGNOAPS / IGNWPS / IGDPS

(To be filled in BLOCK Letters)

Application Form No.

Date of Application [DD/MM/YYYY]



1. Scheme Name (Please ✓) : **IGNOAPS** **IGNWPS** **IGNDPS**

2. State _____

3. District _____

4. Area : Rural Urban

5. Block/Sub District/Municipal: _____

6. Gram Panchayat / Ward :

7. Village :

8. Habitation Name : _____

9. Name of Applicant

First Name :

Middle Name : _____

10. Father / Husband Name _____

11. Nominee Name _____

12. Address of Applicant

Street	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Locality : _____

For more information about the study, contact Dr. Michael J. Coughlin at (319) 356-4000 or via e-mail at mcoughlin@uiowa.edu.

卷之二十一

Year _____

Location _____

Family ID: F001

14. Sex :	Male <input type="checkbox"/>	Female <input type="checkbox"/>		
15. Date of Birth :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> [DD / MM / YYYY]			
16. Age :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> [Year/Months/Days]			
17. Applicant Annual Income:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
18. Category :	SC <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	OBC <input type="checkbox"/>	Others <input type="checkbox"/>
Minority :	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
19. Widow :	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
20. Disabled :	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
21. Type of Disability - I :	<input type="text"/>			
22. Percentage of Disability :	<input type="text"/>			
23. Type of Disability - II :	<input type="text"/>			
24. Percentage of Disability :	<input type="text"/>			
25. EPIC No. :	<input type="text"/>			
26. Ration Card No. :	<input type="text"/>			
27. Mode of Payment :	Bank <input type="checkbox"/>	Post Office <input type="checkbox"/>	Cash <input type="checkbox"/>	Money Order <input type="checkbox"/>
Bank / P.O. Name :	<input type="text"/>			
Name of the Branch :	<input type="text"/>			
Account No. :	<input type="text"/>			
28. Attested by :	<input type="text"/>			
29. Required Documents :				
Sl. No.	Documents	Date of Issue	Issuing Authority Name	
1.	AGE CERTIFICATE			
2.	INCOME CERTIFICATE			
3.	RESIDENCE CERTIFICATE			
4.	DISABILITY CERTIFICATE			
5.	DEATH CERTIFICATE (For Widow only)			

(Signature / Left Thumb Impression of the applicant)

- Page 3 -

30. Approve Application : Accept Reject

Reasons with Remarks : _____

Verification Remark by Verifying Authority :

(Signature, Full Name & Designation of Verifying Authority)

Name :
Designation :

Remarks by Scrutinizing Authority :

(Signature, Full Name & Designation of Scrutinizing Authority)

Name :
Designation :

Remarks by Approving Authority :

(Signature, Full Name & Designation of Approving Authority)

Name :
Designation :

4 आवेदन पत्र – विकलांगिता प्रमाण पत्र आवेदन (कृपया पृष्ठ 19 देखें)

Form-I

APPLICATION FOR OBTAINING DISABILITY CERTIFICATE BY PERSONS

WITH DISABILITIES

(See rule 3)

1. Name: (Surname) _____ (First name) _____ (Middle name) _____

2. Father's name: _____ Mother's name: _____

3. Date of Birth: (date) _____ / (month) _____ / (year) _____

4. Age at the time of application: _____ years

5. Sex: _____ Male/Female

6. Address:

(a)	Permanent	address					

(b)	Current	Address	(i.e.)	for	communication)		

(c)	Period	since	when	residing	at	current	address

7. Educational Status (Pl. tick as applicable)

I. Post Graduate

II. Graduate

III. Diploma

IV. Higher Secondary

V. High School

VI. Middle

VII. Primary

VIII. Illiterate

8. Occupation _____

9. Identification marks (i) _____ (ii) _____

10. Nature of disability: locomotor/hearing/visual/mental/others

11. Period since when disabled: From Birth/Since year _____

12. (i) Did you ever apply for issue of a disability certificate in the past _____ YES/NO

(ii) If yes, details:

a. Authority to whom and district in which applied _____

b. Result of application _____

13. Have you ever been issued a disability certificate in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further, state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

(Signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with mental retardation, autism, cerebral palsy and multiple disabilities)

Date:

Place:

Encl:

1. Proof of residence (Please tick as applicable)

- a. ration card,*
- b. voter identity card,*
- c. driving license,*
- d. bank passbook*
- e. PAN card,*
- f. passport,*
- g. telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,*
- h. a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Govt. school,*
- i. in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, etc., a certificate of residence from the head of such institution.*

2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:

Place:

*Signature
Stamp*

of

issuing

authority

5 आवेदन पत्र – रेलवे छुट आवेदन फार्म (कृपया पृष्ठ 19 देखें)

Rail Travel Concession Form for the Orthopedically Handicapped

(Rule 101, Serial No.25)

CONCESSION CERTIFICATE

Paste passport size photograph Duly signed and stamped by the Issuing Doctor

Form the purpose of grant of rail concession to orthopedically handicapped/paraplegic persons/patients to be used by the Govt. Doctor

This is to certify that Km./ Shri./ Smt., whose particulars are furnished below, is a bonafide deaf and dumb person/patient and **CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT.**

Particulars of the Orthopaedically handicapped/ Paraplegic person/ patient :

1. Address : _____
2. Father's/ Husband's Name : _____
3. Age : _____
4. Sex : _____
5. Nature of handicap (To be written by Doctor whether the disability is temporary or permanent) : _____
6. Causes of loss of functional capacity : _____
7. Signature or Thumb Impression of Orthopaedically handicapped/ Paraplegic person/ patient (not necessary for those whose both hands are missing or non-functional) :

Place : _____

Signature of Govt. Doctor

Date : _____

Clear Seal of Govt. Hospital/ Clinic

Seal Containing full name and Regd. No. of Doctor

* Strike out where not applicable Note:

1. The certificate should be issued only to those deaf and dumb persons/ patients WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT. The photo must be signed and stamped in such a way that Doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.
2. In the case of temporary disability, the certificate will be valid for five years from the date of issue. In the case of permanent disability, the certificate will remain valid for (1) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (2) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (3) in the case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain for whole life of the concerned person. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a free certificate. A photostat copy of this certificate is accepted for the purpose of grant concession. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.
3. No alteration in the form is permitted.

6 आवेदन पत्र – मतदाता पहचान पत्र(कृपया पृष्ठ 37देखें)

FORM 6

[See rules 13(1) and 26]

Application for inclusion of name in electoral roll

To

The Electoral Registration Officer
.....Assembly/ Parliamentary ^f Constituency.

Sir,

I request that my name be included in the electoral roll for the above Constituency. Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll are given below:

SPACE FOR PASTING
ONE RECENT
PASSPORT SIZE
PHOTOGRAPH
(3.5 CM X 3.5 CM)
SHOWING FRONTAL
VIEW OF FULL FACE
WITHIN THIS BOX

I. Applicant's details		Name		Surname (if any)	
Age as on 1 st January#		Years:	Months:	Sex (male/female/others):	
Date of birth, if known: Day:		Month:		Year:	
Place of birth:	Village/ Town:				State:
	District:				
* Father's/ Mother's/ Husband's Name	Name			Surname (if any)	
II. Particulars of place of present ordinary Residence (Full address)					
House/ Door number:					
Street/ Area/Locality/ Mohalla/Road:					
Town/ Village:					
Post Office:			Pin Code:		
Tehsil/ Taluka/ Mandal/ Thana:					
District:					
III. Details of member(s) of applicant's family already included in the current electoral roll of the Constituency:					
Name	Relationship with applicant	Part number of the roll of the Constituency	Serial number in that Part	Elector's Photo Identity Card Number	
1.					
2.					

^f In case of Union territories having no Legislative Assembly and the State of Jammu & Kashmir.

Please give the year i.e. 2007, 2008, etc.

* Strike out the inappropriate alternative

IV. Declaration

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief: -

- (i) I am a citizen of India;
- (ii) I am ordinarily resident at the address given in para II above since(date, month, year)
- (iii) I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other constituency;
- (iv) *My name has not already been included in the electoral roll for this or any other assembly constituency;

Or

*My name may have been included in the electoral roll for _____
 Constituency in _____ State in which I was ordinarily
 resident earlier at the address mentioned below and if so, I request that the
 same may be deleted from that electoral roll.

Full Address (Earlier Place of ordinary residence) _____ _____ _____	Electors Photo Identity Card number (if already issued) _____ Date of issue _____
---	---

Place:

Date:

Signature or thumb impression of the applicant

A) Note – Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

* Strike out the inappropriate alternative.

Details of action taken

(To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)

The application of

Shri/Smt./Km.....for inclusion of name in the electoral roll in Form 6 has been accepted*/rejected*.

Detailed reasons for *acceptance [under or in pursuance of rule 18*/20*/26(4)]^f or* rejection [under or in pursuance of rule 17/20*/26(4)^f]:

Place: Date	Signature of Electoral Registration Officer	(Seal of the Electoral Registration Officer)
--------------------	--	---

^f During continuous updating after final publication of electoral roll.

* Strike out the inappropriate alternative.

Remarks of Field Level Officers (e.g BLO, Designated Officer, Supervisory Officer)

Receipt for application

Received the application in Form 6 of ** Shri/Shrimati/Kumari.....
 **Address.....

Date.....

Signature of the officer receiving the application
 on behalf of the Electoral Registration Officer
 (Address)

** To be filled in by the applicant.

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM-6
General Instructions

Who can file Form-6

1. First time applicant on attaining age of 18years or more on the first day of January of the year with reference to which the electoral roll is being revised.
2. Person shifting his / her place of ordinary residence outside the constituency in which he / she is already registered.

When Form-6 can be filed

1. The application can be filed after draft publication of electoral roll of the constituency. The application is to be filed within the specific days provided for the purpose. Due publicity is given about the above period when the revision programme is announced.
2. Only one copy of the application is to be filed.
3. Application for inclusion of name can be filed through out the year even when the revision programme is not going on. During non-revision period, application must be filed in duplicate.

Where to file Form-6

1. During revision period, the application can be filed at the designated locations where the draft electoral roll is displayed (mostly polling station locations) as well as the Electoral Registration Officer and Assistant Electoral Registration Officer of the constituency.
2. During other period of the year when revision programme is not going on, the application can be filed only with the Electoral Registration Officer.

How to Fill the Form-6

1. The application should be addressed to the Electoral Registration Officer of the constituency in which you seek registration. The name of the constituency should be mentioned in the blank space.
2. Name (With Documentary Proof)
 The name as it should appear in the electoral roll and Electors Photo Identity Card (EPIC) should be furnished. The full name except the surname should be written in the first box and surname should be written in the second box. In case you do not have a surname, just write the given name. Caste should not be mentioned except where the caste name is used as part of the elector's name or a surname. Honorific appellations like Shri, Smt. Kumari, Khan, Begum, Pandit etc. should not be mentioned.
3. Age (With Documentary Proof)
 The age of the applicant should be eighteen or more on 1st January of the year with reference to which the electoral roll is being revised. The age should be indicated in years and months.

e.g. A person born on or upto 1/1/1991 will be eligible for inclusion in the electoral roll which is being revised with reference to 1/1/2009. Persons born on 2/1/1991 or thereafter upto 1/1/1992 shall be eligible for inclusion during the next revision with reference to 1/1/2010.

4. Sex

Write your sex in full in the space provided e.g. Male / Female/Others. Applicants may indicate their sex as "Other" where they do not want to be described as male or female.

5. Date of Birth (With Documentary Proof)

Fill up the date of birth in figures in the space provided in dd/mm/yyyy.

Proof of date of birth to be attached are as under:

- (i) Birth certificate issued by a Municipal Authorities or district office of the Registrar of Births & Deaths or Baptism certificate; or
- (ii) Birth certificate from the school (Govt. / Recognised) last attended by the applicant or any other recognised educational institution; or
- (iii) Illiterate or semi-illiterate applicant who is not in possession of any of the above document are required to attach a declaration in prescribed format by either of the parents already included in the electoral roll in support of the applicants age. The format will be supplied on demand.

N.B. In the case of applicants born on or after 26.01.1989, only birth certificate issued by the Municipal Authorities or district office of the Registrar of Births & Deaths is acceptable.

6. Place of Birth

In case born in India, please mention name of place like Village / Town, District, State.

7. Relation's Name:

In case of unmarried female applicant, name of Father / Mother is to be mentioned. In case of married female applicant, name of Husband is to be mentioned. Strike out the inapplicable options in the column.

8. Place of Ordinary Residence

Fill up the full and complete postal address including PIN code where you are ordinarily residing and want to get registered, in the space provided.

Proof of ordinary residence to be attached are as under:

- (i) Bank / Kisan / Post Office current Pass Book, or
- (ii) Applicants Ration Card / Passport / Driving License / Income Tax Assessment Order, or
- (iii) Latest Water / Telephone / Electricity / Gas Connection Bill for that address, either in the name of the applicant or that of his / her immediate relation like parents etc., or
- (iv) Postal department's posts received / delivered in the applicant's name at the given address.

NOTE: If any applicant submits only ration card as proof of address, it should be accompanied by one more proof of address out of the above categories.

9. Details of Family Members Already Included in the Electoral Roll

Please fill up name and other particulars of immediate family members i.e. Father / Mother / Brother / Sister / Spouse included in the current electoral roll of the constituency. Name of any other relation like uncle, aunt, cousin brother / sisters etc. not to be mentioned.

10. Declaration

Please indicate date from which you are residing in the given address. In case the exact date is not known, fill-up month and year.

If your name is already included in the electoral roll of any other constituency, please write legibly the full previous address with PIN code.

If you already have been issued with a Photo Identity Card by the Election Commission, please mention the card number (printed on the front side) and date of issue (printed on the back side) of the card in the space provided. Please attach a self-attested photocopy of both sides of the card.

Miscellaneous

In many places the photograph of the elector is also printed in the electoral roll. You have the option to submit one recent coloured passport-size photograph alongwith the form. The photograph will be used to print your image in the electoral roll and issue of identity card, if required.

7 आवेदन पत्र – आधार कार्ड(कृपया पृष्ठ 38देखें)



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार



ENROLMENT FORM (आवेदन पत्र)

Please use CAPITAL letters (कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरें)

Date (दिनांक): _ _ / _ _ / _ _ _ _

Part A – Primary Details / (क) प्राथमिक जानकारी

Name:

(नाम): _____
 Mother Father Husband Guardian's Name
माता पिता पति अभिभावक का नाम _____

(Name of Mother/Father/Guardian is must for children below 5 years of age)
(5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये माता/पिता/अभिभावक का नाम अनिवार्य है)

Date of Birth:

जन्म तिथि: _ _ / _ _ / _ _ _ _

If not known, Age: _ _ _

यदि नहीं पता, उम्र: _ _ _

Gender: Male Female Transgender
लिंग: पुरुष स्त्री अन्य

Residential address: आवासीय पता:

c/o: _____

House No. and name: घर का नम्बर और नाम: _____

Street No. and name: मोहल्ला/गली नम्बर और नाम: _____

Landmark: मुख्य पहचान: _____

Village / City: ग्राम/शहर: _____

District: ज़िला: _____

State: राज्य: _____

Pin code: पिन कोड:

Part B - Additional Information / (ख) (अन्य जानकारी)

Phone No. / Mobile No. (optional): फोन नम्बर / मोबाइल नम्बर (इच्छाधीन): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Email (optional): ईमेल (इच्छाधीन): _____

NPR Receipt No.: (एन.पी.आर. रसीद नंबर): _____

Part C - Financial Information / (ग) (वित्तीय जानकारी)

- I want to open UID enabled bank A/c
मैं आधार नंबर से जुड़ा बैंक खाता खोलना चाहता/चाहती हूँ।
- I want to link my existing bank A/c to Aadhaar number and I have no objection on this issue.
मैं चाहता/चाहती हूँ कि मेरे वर्तमान बैंक खाते को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया जाए एवं इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

Bank name and Branch (बैंक का नाम व शाखा) _____

A/c No. (खाता संख्या) _____

For more info visit: uidnumber.org

8 आवेदन पत्र – पैन कार्ड (कृपया पृष्ठ 42 देखो)

Application for Allotment of Permanent Account Number

Under Section 139A of the Income Tax Act, 1961

(To avoid mistake(s), please follow the accompanying instructions and examples carefully before filling up the form)

To

The Assessing Officer

Area Code	AO Type	Range Code	AO No.
-----------	---------	------------	--------

Ward/ Circle	
Range	
Commissioner	

Only 'Individuals' to affix recent photograph (3.5 cm x 2.5 cm)

Sir,

I/We hereby request that a permanent account number be allotted to me/us.

I/We give below necessary particulars :

Signature/ Left Thumb Impression

1. Full Name (Full expanded name : initials are not permitted)

Please Tick as applicable

Shri Smt. Kumari M/s

Last Name / Surname

First Name

_____ _____ _____	_____ _____ _____
-------------------------	-------------------------

Middle Name

2. Name you would like printed on the card

_____ _____ _____

3. Have you ever been known by any other name?

Please Tick as applicable

Yes

No

If yes, please give that other name

(Full expanded name : initials are not permitted)

Shri Smt. Kumari M/s

Last Name / Surname

First Name

_____ _____ _____	_____ _____ _____
-------------------------	-------------------------

Middle Name

4. Father's Name (Only 'Individual' applicants : Even married women should give father's name only)

Last Name / Surname

First Name

_____ _____ _____	_____ _____ _____
-------------------------	-------------------------

Middle Name

5. Address

R. Residential Address

Flat/Door/Block No.

_____ _____ _____

Name of Premises / Building / Village

_____ _____ _____

Road / Street / Lane / Post Office

_____ _____ _____

Area / Locality / Taluka / Sub - Division

_____ _____ _____

Town / City / District

State / Union Territory

Pin

_____ _____ _____	_____ _____ _____
-------------------------	-------------------------

O. Office Address (Name of Office)

(Indicating PIN is mandatory)

_____ _____ _____

Flat/Door/Block No.

_____ _____ _____

Name of Premises / Building / Village

_____ _____ _____

Road / Street / Lane / Post Office

_____ _____ _____

Area / Locality / Taluka / Sub - Division

_____ _____ _____

Town / City / District

State / Union Territory

Pin

(Indicating PIN is mandatory)

6. Address for communication Please Tick as applicable

R or O

STD Code	Tel. No.	
7. Tel. No. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	email ID <input type="text"/>
8. Sex (For Individual Applicants only) Please Tick <input checked="" type="checkbox"/> as applicable		
Male <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/>		
9. Status of the Applicant Please Tick <input checked="" type="checkbox"/> as applicable		
Individual <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Firm <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Body of Individuals <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Hindu Undivided Family <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Association of Person <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Local Authority <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Company <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Association of Persons (Trusts) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Artificial Juridical Person <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
10. Date of Birth / Incorporation / Agreement / Partnership or Trust Deed / Formation of Body of Individuals/ Associations of Persons		
<input type="text"/> <input type="text"/> D D M M Y Y Y Y		
11. Registration Number (In case of Firms, Companies etc.) <input type="text"/>		
12. Whether citizen of India ? Please Tick <input checked="" type="checkbox"/> as applicable Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
13(a) Are you a salaried employee ? If yes, indicate Government <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/> Name of the Organisation where working <input type="text"/>		
(b) If you are engaged in a business/ profession, indicate nature of business or profession and fill the relevant code <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
(c) If you are not covered by (a) or (b) above, indicate sources of income, if any <input type="text"/>		
14. Full name, address of the Representative Assessee, who is assessable under the Income Tax Act in respect of the person, whose particulars have been given in column 1 to 13.		
Full Name(Full expanded name : initials are not permitted) Please tick <input checked="" type="checkbox"/> as applicable Shri <input type="checkbox"/> Smt. <input type="checkbox"/> Kumari <input type="checkbox"/> M/s <input type="checkbox"/>		
Last Name / Surname <input type="text"/>	First Name <input type="text"/>	Middle Name <input type="text"/>
Address <input type="text"/>	Flat/Door/Block No. <input type="text"/>	Name of Premises / Building / Village <input type="text"/>
Road / Street / Lane / Post Office <input type="text"/>	Area / Locality / Taluka / Sub - Division <input type="text"/>	Town / City / District <input type="text"/> State / Union Territory <input type="text"/> Pin <input type="text"/>
(Indicating PIN is mandatory)		
15. I/We have enclosed <input type="text"/> as proof of identity and <input type="text"/> as proof of address		
We <input type="text"/> , the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my/our information and belief.		
Verified today, the <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> D D M M Y Y Y Y	Signature/Left Thumb Impression of Applicant (inside the box) <input type="text"/>	

